ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು – ೫೭೦ ೦೦೬.

Karnataka State Open University
Manasagangothri, Mysore - 570 006.

हिन्दी साहित्य का इतिहास और व्याकरण

M. A. Previous HINDI
Course / Paper - IV

व्याकरण

वर्ण विचार
संधि और समास
शब्द–भेद
संज्ञा, वचन और लिंग
कारक और सर्वनाम
विशेषण
संबंध सूचक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादिबोधक
क्रिया
संयुक्त क्रिया
अर्थ – कृदंत और तद्धित
वाच्य
उपसर्ग और प्रत्यय
क्रिया विशेषण
वाक्य विचार

BLOCK - 5

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ **1986**

ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ..... ವಿದ್ಯಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಬದಲು, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯುವವರ ಬಳಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ.

ಡಾ || ಕುಳಂದೈಸ್ವಾಮಿ

The Open University system has been initiated in order to augment opportunities for higher education and as an instrument of democratising education.

National Education Policy 1986

The Open University system makes use of Multi-media in distance education system. ..... it is a vehicle which transports knowledge to the place of learners rather than transport people to the place of learning.

Dr. Kulandai Swamy

हिन्दी एम .ए . प्रीवियस - प्रथम पत्र

KSOU
MGM-06

Hindi
Paper / Course - IV

ब्लाक सं

5

" हिन्दी व्याकरण "

Unit No. 1 to 4 अनुक्रमणिका : -	Page No.

इकाई 1 वर्ण विचार	1 - 20
इकाई 2 संधि और समास	21 - 46
इकाई 3 शब्द-भेद	47 - 66
इकाई 4 संज्ञा, वचन और लिंग	67 - 88

पाठ्यक्रम अभिकल्प तथा संपादकीय समिति

प्रो.एम.जी.कृष्णन
कुलपति तथा अध्यक्ष
क. रा. मु. वि. विद्यालय,
मैसूर - 6

प्रो.एस.एन.विक्रमराज अरस
डीन (शैक्षणिक) - संयोजक
क. रा. मु. वि. विद्यालय
मैसूर - 6

डॉ. शशिधर. एल. जी
रीडर,
हिन्दी विभाग,
मैसूर विश्वविद्यालय,
मानस गंगोत्री
मैसूर - 6

संपादक

बी. जी. चन्द्रलेखा
अध्यक्षा, हिन्दी विभाग (से.नि.)
क. रा. मु. वि. विद्यालय
मैसूर - 6

संयोजिका

पाठ्यक्रम के लेखक — **ब्लाक - 1**

डॉ. वी. डी. हेगडे,
रीडर, हिन्दी विभाग, (से.नि.)
मैसूर विश्वविद्यालय,
मानस गंगोत्री
मैसूर - 6

इकाई 1 - 4 तक

कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर शैक्षणिक अनुभाग द्वारा निर्मित।
सभी अधिकार सुरक्षित। कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय से लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना, इस कार्य के किसी भी अंश को किसी भी रूप में अनुलिपित या किसी अन्य माध्यम द्वारा प्रतिकृति नहीं किया जाएगा।

कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम पर अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यालय, मानस गंगोत्री, मैसूर - 6 से प्राप्त की जा सकती है।

कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से ***रजिस्ट्रार (प्रशासन)*** *द्वारा मुद्रित व प्रकाशित।*

ब्लाक परिचय

प्रिय विद्यार्थि - बन्धु ,

कोर्स एक में आपने **कर्नाटक संस्कृति और कन्नड साहित्य,** कोर्स दो में **आधुनिक हिन्दी काव्य** और कोर्स तीन में **आधुनिक हिन्दी गद्य एवं नाटक, निबन्ध, उपन्यास, कहानी** का अध्ययन किया।

अब आप कोर्स चार में इकाई 01 से 16 तक हिन्दी व्याकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। ब्लाक एक के अंतर्गत इकाई 01 में वर्ण विचार, इकाई 02 में संधि और समास, इकाई 03 में शब्द - भेद और इकाई 04 में संज्ञा के वचन और लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

शुभकामनाओं के साथ,

डॉ.कांबले अशोक
अध्यक्ष ,
हिन्दी अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग
क. रा. मु. वि. विद्यालय,
मैसूर - 6

BLOCK - 05

Unit 01

वर्ण विचार

01.0 उद्देश्य

01.1 प्रस्तावना

01.2 मूलपाठ - वर्ण विचार

01.2.1 ध्वनि, वर्ण, वर्णमाला और लिपि'

01.2.1.1 स्वर

01.2.1.1.1 स्वरों का वर्गीकरण

01.2.1.1.2 स्वरों का उच्चारण

01.2.1.1.3 अनुस्वार और विसर्ग

01.2.1.2 व्यंजनों का वर्गीकरण

01.2.1.2.1 अर्ध - स्वर व्यंजन

01.2.1.2.2 संयुक्त व्यंजन

01.2.1.2.3 नये व्यंजन

01.2.1.2.4 अनुस्वार और अनुनासिक

01.2.1.2.5 पंचमाक्षर और अनुस्वार

01.2.1.2.6 बारहखड़ी

01.3 सारांश

01.4 बोध - प्रश्न

01.5 बोध - प्रश्नों के उत्तर

01.6 परिक्षार्थ प्रश्नों के नमूने

01.7 उत्तर- संकेत

01.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

01.0 उद्देश्य

इस इकाई का उद्देश्य है :

वर्ण, अक्षर और ध्वनि का स्वरूप समझना, हिन्दी की वर्णमाला एवं लिपि की विशेषताएँ जानना, स्वरों और व्यंजनों को वर्गीकृत करना, उच्चारण एवं वर्तनी का अंतर समझना ।

01.1 प्रस्तावना

व्याकरण का वह भाग 'वर्ण-विचार' कहलाता है जिसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का निरूपण होता है । यह तो आप जानते ही हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, जिसके खंड न हो सकें; जैसे - अ, इ, क्, ख् इत्यादि । वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वैसे तो 'ध्वनि' के लिखित रूप को 'वर्ण' कहते हैं । हिन्दी जिस वर्णमाला में लिखी जाती है उसका नाम 'देवनागरी' है । हिन्दी में उच्चारण और वर्तनी का घनिष्ठ संबंध है । कभी-कभी वर्तनी पर उच्चारण का प्रभाव भी देखा जा सकता है। मौखिक भाषा बहुत-से उच्चारणात्मक प्रभावों को अपने साथ लेकर चलती है। जब मौखिक रूप का लिप्यंकन होता है तो हर भाषा कुछ न कुछ लेखनीय युक्तियों का उपयोग करती है । भाषा के मौखिक रूप को लिपिबद्ध करते समय तथा लिखित रूप का उच्चारण करते समय जो कठिनाइयाँ आती हैं, उनकी ओर ध्यान देना भी आवश्यक है ।

01.2 मूल पाठ : वर्णविचार

व्याकरण की दृष्टि से भाषा की संरचना तीन स्तरों की होती है । वे स्तर हैं वर्ण, शब्द और वाक्य । इन्हें दृष्टि में रखकर हिन्दी व्याकरण को तीन भागों में विश्लेषित किया जाता है । वे हैं वर्णविचार, शब्द साधन और वाक्यविन्यास। प्रस्तुत इकाई का मूल पाठ हिन्दी के वर्णविचार से संबंधित है ।

01.2.1 ध्वनि, वर्ण, वर्णमाला और लिपि

ध्वनि की सत्ता के बिना भाषा की सत्ता की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हम अपनी वागिन्द्रियों द्वारा जिसका उच्चारण करते हैं, वही ध्वनि है । अथवा

यों कहा जा सकता है कि मनुष्य की वागिन्द्रियों से अभिव्यक्त सुनी जाने योग्य वाणी ही ध्वनि है। भाषा के दो रूप होते हैं कथित (या मौखिक) और लिखित। कथित भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है । ध्वनि के दो भेद हैं - वर्णात्मक और नादात्मका। वर्णात्मक ध्वनि से भाषा का निर्माण होता है तो नादात्मक ध्वनि से संगीत का । जब ध्वनियाँ लिखित रूप धारण करती हैं तो वर्ण अथवा अक्षर कहलाती हैं । कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में : 'वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, जिसके खंड न हो सकें ।' 'शब्दानुशासन' के अनुसार 'वर्ण वह छोटी-से-छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। 'सबेरा' शब्द में साधारण रूप से तीन ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं - स - बे - रा। इनमें से प्रत्येक ध्वनि के खंड हो सकते हैं, जैसे - स = स् अ, बे = ब्, ए, रा = र् आ। ये ही खण्डित (खंडों में विभक्त) ध्वनियाँ 'वर्ण' कहलाती हैं । वस्तुतः भाषा के लिखित रूप के निर्माण में जो ध्वनि-चिह्न प्रयुक्त होते हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं । मौखिक भाषा का संबंध भाषिक ध्वनियों के उच्चारण के साथ होता है और लिखित भाषा का संबंध इन ध्वनियों को लिपिबद्ध करने की प्रणाली के साथ होता है । भाषा में विभिन्न ध्वनियों के लिए लिपि-चिह्नों की व्यवस्था की जाती है । ये लिपि-चिह्न (ध्वनि-चिह्न) वर्ण कहलाते हैं । वर्ण या लिपि-चिह्न वे लेखनीय आकृतियाँ हैं जो अलग अलग भाषाओं में ध्वनि-प्रतीक के रूप में स्वीकृत हैं ।

कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 'लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिह्न मान लिये गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं, उसे लिपि कहते हैं । अघोष, अल्पप्राण, ओष्ठ्य ध्वनि के लिए देवनागरी लिपि में 'प' वर्ण स्वीकृत है तो कन्नड लिपि में 'ಪ'। इस प्रकार संसार में अनेक लिपियों का प्रादुर्भाव हुआ और विभिन्न भाषाओं ने इनमें से किसी एक लिपि को अपनी लिखित अभिव्यक्ति के लिए चुन लिया । लिपि ने मौखिक भाषा को स्थायित्व प्रदान किया है । लिपि के माध्यम से एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी तक अपने विचार-अनुभव पहुँचाने में बड़ी सुविधा हुई है। संस्कृति - सभ्यता के विकास में लिपि का योगदान स्मरणीय है।

1.2.1.1 स्वर

पं. कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ' हिन्दी वर्णमाला में 43 वर्ण हैं । इनके दो भेद हैं - स्वर और व्यंजन उन्होंने ग्यारह स्वरों-(अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ) का परिगणन किया है । उनके अनुसार व्यंजन तेईस हैं । ' ऋ ' केवल तत्सम शब्दों में पाया जाता है ; जैसे, ऋषि, ऋण, कृपा, नृत्य, मृत्यु इत्यादि । अतः 'ऋ' को छोड़कर उन्होंने 43 वर्ण (10 स्वर + 33 व्यंजन) माने हैं । डा. हरिवंश तरुण तथा अन्य विद्वान् हिन्दी वर्णमाला में कुल 51 वर्ण स्वीकार करते हैं । उनके मतानुसार - ऋ, क्ष, त्र, ज्ञ, ड़, ढ़ हिन्दी वर्णमाला में सम्मिलित हैं । हिन्दी में नवागत ध्वनियों को दृष्टि में रखते हुए, डा. हरदेव बाहरी कहते हैं कि हिन्दी ड़, ढ़ और अरबी-फ़ारसी क़, ख़ ग़ तथा फ़ारसी - अंग्रेजी ज़, फ़ को भी वर्णमाला में स्थान मिलना चाहिए ।

स्वर को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण अपने आप हो सके । व्यंजन को परिभाषित करते समय स्वरों की अनिवार्य सत्ता पर इस प्रकार बल दिया जाता है - 'व्यंजन उन ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना न हो सके । वास्तव में स्वर और व्यंजन का स्वरूप - ज्ञान अन्योन्याश्रित है । यहाँ तक कहा गया है कि व्यंजन किसी भी भाषा में मोतियों के समान हैं, जब कि स्वर डोरी के समान हैं, जिसमें सभी मोती पिरोये होते हैं । स्वर तो स्वयं शासन करता है । नारद शिक्षा में स्वर को शक्तिसंपन्न सम्राट और व्यंजन को निर्बल राजा के समान माना गया है । प्राचीन शास्त्रों ने स्वर को अधिक महत्व देकर व्यंजन को स्वर के अधीन बना दिया है। त्रिभाष्यरत्न में यहाँ तक कहा गया है कि व्यंजन अपने आप में खड़ा भी नहीं हो सकता।

पं. कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में 'स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है - और भी व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं।' डा. हरिवंश तरुण के अनुसार 'जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से और बिना किसी अवरोध के होता है, उन्हें स्वर कहते हैं । आधुनिक युग में स्वर-व्यंजन को भाषावैज्ञानिक दृष्टि से परिभाषित किया जाता है । स्वर वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा मुख-विवर से बिना रुकावट के बाहर निकलती है और व्यंजन उन ध्वनियों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में मुख-विवर में से हवा के बाहर निकलते समय रुकावट उत्पन्न होती है ।

देवनागरी लिपि में वर्णों का उच्चारण और नाम तुल्य होने के कारण, जब कभी उनका नाम लेना पड़ता है तब अक्षर के आगे ' कार ' जोड़ते हैं; जैसे, अकार, आकार, इकार, ईकार, ककार, मकार, सकार । इनसे क्रमशः अ आ इ ई क म स का बोध होता है । रकार को रेफ भी कहा जाता है।

1.2.1.1.1 स्वरों का वर्गीकरण

पं. कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों के वर्गीकरण के चार आधार माने हैं जिनके अनुसार स्वरों के भेद इस प्रकार हैं :

1) उत्पत्ति

- i) मूल स्वर (ह्रस्व स्वर) (अ, इ, उ, ऋ)
- ii) संधिस्वर
  - दीर्घ (आ ई ऊ)
  - संयुक्त (ए ऐ ओ औ)

2) उच्चारण का कालमान

- i) लघु (सभी मूलस्वर)
- ii) गुरु (सभी संधिस्वर)

3) जाति

- i) सवर्ण (सजातीय) (अ, आ, इ, ई, उ, ऊ)
- ii) असवर्ण (विजातीय) (अ, इ, अ, उ, इ, ऊ)

4) उच्चारण

- i) सानुनासिक (गाँव, ऊँचा में अनुनासिक स्वर का चिह्न ँ)
- ii) निरनुनासिक (आज, काज, लाज)

स्वरों के विभिन्न भेदों की परिभाषा इस प्रकार है :

1 मूलस्वर (ह्रस्व स्वर)

जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर से नहीं है, वे मूलस्वर कहलाते हैं । जैसे, अ इ उ ऋ ।

2 संधिस्वर

मूलस्वरों के मेल से बने हुए स्वर संधिस्वर हैं । जैसे, आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ ।

संधिस्वरों के दो भेद हैं - दीर्घ और संयुक्त ।

3 दीर्घस्वर

किसी एक मूलस्वर में उसी मूलस्वर के मिलाने से जो स्वर उत्पन्न होता है, उसे दीर्घ कहते हैं । जैसे, अ + अ = आ, इ + इ = ई, उ + उ = ऊ, अर्थात् आ, ई, ऊ दीर्घस्वर हैं । ऋ + ऋ = ॠ - यह दीर्घस्वर हिन्दी में नहीं है ।

4 संयुक्त स्वर

भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से उत्पन्न स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं । जैसे, (अ + इ =) ए, (अ + उ =) ओ, (आ + ए =) ऐ, (आ + ओ =) औ ।

उच्चारण के कालमान को मात्रा कहते हैं । मात्रा की दृष्टि से स्वर दो प्रकार के हैं ।

5 लघुस्वर

जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगती है उसे उसे लघु स्वर (अथवा ह्रस्व स्वर) कहते हैं । सब मूल स्वर लघुस्वर हैं ।

6 गुरुस्वर

जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएँ लगती हैं उसे गुरु स्वर कहते हैं । सब संधिस्वर गुरु हैं । स्वर की ह्रस्वता और दीर्घता के कारण बड़ा अर्थभेद होता है। जैसे, अब-आब, कल-काल, जल-जाल, मन-मान, धरा-धारा ।

7 प्लुत स्वर

किसि भी स्वर को गत्यात्मक ढंग से अपेक्षाकृत अधिक समय तक उच्चारण करना प्लुत कहा जाता है । अथवा प्लुत वह स्वर है, जिस के उच्चारण में तिगुना

समय लगे । हिन्दी में यह प्रयुक्त नहीं होता । 'प्लुत' का अर्थ है 'उछलता हुआ'। प्लुत में तीन मात्राएँ होती हैं । वह बहुधा दूर से पुकारने, रोने, गाने और चिल्लाने में आता है । उसका कोई चिह्न नहीं होता । उसकी पहचान दीर्घ स्वर के आगे तीन का अंक लिख देने से होती है । जैसे, ए ।3, लड़के ।3, हूँ ।3

8 सवर्ण स्वर

समान स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न होनेवाले स्वर को सवर्ण अथवा सजातीय स्वर कहते हैं । अ आ, इ ई, उ ऊ क्रमशः परस्पर सवर्ण हैं । अर्थात् अ आ का सवर्ण है और आ अ का सवर्ण है ।

9 असवर्ण स्वर

जिन स्वरों के स्थान और प्रयत्न एक से नहीं होते, उन्हें असवर्ण अथवा विजातीय स्वर कहते हैं । जैसे, अ इ, आ ऊ, इ ऊ असवर्ण स्वर हैं । पं. कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 'ए, ऐ, ओ, औ - इन संयुक्त स्वरों में परस्पर सवर्णता नहीं है । क्योंकि ये असवर्ण स्वरों से उत्पन्न हैं ।

10 सानुनासिक स्वर

जब किसी स्वर के उच्चारण में कोमल तालु कुछ नीचे झुककर वायु के कुछ अंश को नासारन्ध्र में से होकर जाने देता है तो फलस्वरूप वह स्वर अनुनासिक हो जाता है । इस प्रकार वायु मुख-विवर के साथ ही नासिकाविवर से भी निकलने के कारण स्वरों में अनुनासिकता का समावेश हो जाता है जिसे चंद्रबिंदु द्वारा स्पष्ट किया जाता है । जैसे, अँ, आँ, उँ, ऊँ इत्यादि । आँख, गाँव, ऊँचा, अँखिया - आदि में स्वरों की अनुनासिकता पायी जाती है । सानुनासिक स्वर को 'अनुनासिक' भी कहते हैं।

11 निरनुनासिक स्वर

इसे 'अननुनासिक' भी कहते हैं । जब किसी स्वर के उच्चारण में कोमल तालु अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहकर वायु के संपूर्ण प्रवाह को मुखरंध्र से जाने देता है तो अननुनासिक स्वर का निर्माण होता है, नासरन्ध्र बंद होने के कारण अनुनासिकता का बहिष्कार हो जाता है । वायु केवल मुख-विवर से ही बाहर निकलती है । पं. कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में - 'यदि मुँह से पूरा श्वास निकल जाय तो शुद्ध - निरनुनासिक - ध्वनि निकलती है, पर यदि श्वास का कुछ भी अंश नाक से निकाल जाय तो अनुनासिक ध्वनि निकलती है ।

जिह्वा के विभागों की दृष्टि से स्वरों के तीन वर्ग बनते हैं - अग्र स्वर, मध्यस्वर और पश्च स्वर ।

12 अग्रस्वर

यदि जिह्वा का अग्रभाग (डिह्वाग्र) स्वरों के निर्माण में क्रियाशील है तो इस प्रकार निर्मित स्वर अग्र स्वर कहलाते हैं । इ, ई, ए, ऐ अग्र स्वर हैं ।

13 मध्य स्वर

जिह्वा के मध्य भाग की क्रियाशीलता से उत्पन्न स्वर मध्य स्वर कहा जाता हैं। अ मध्यस्वर है।

14 पश्च स्वर

पश्च स्वर वे हैं जो जिह्वा के पश्चभाग जिह्वापश्च की क्रियाशीलता से उत्पन्न हैं। आ, उ, ऊ, ओ, औ पश्च स्वर हैं।

जिह्वा के व्यवह्रत भागों की ऊँचाई की दृष्टि से स्वरों के चार वर्ग बनते हैं - संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर और विवृत स्वर।

15 संवृत स्वर

जिह्वा का व्यवहृत भाग स्वरों के उच्चारण में सम्भव अपनी अधिकतम ऊँचाई पर होगा तब मुखरन्ध्र संवृत होने के कारण जिन स्वरों का निर्माण होगा वे संवृत कोटि में आते हैं। जैसे - इ, ई, उ, ऊ ।

16 अर्ध संवृत स्वर

जब जिह्वा का व्यवहृत भाग संवृत की अवस्था में कुछ कम ऊँचाई पर होगा तब निर्मित स्वर अर्ध संवृत कहलायेंगे । यथा - ए, ओ ।

17 अर्धविवृत स्वर

जब जिह्वा का व्यवहृत भाग अर्ध संवृत की अवस्था से कुछ कम ऊँचाई पर होगा तब अर्धविवृत स्वरों का निर्माण होगा । जैसे - अ, ऐ, औ।

18 विवृत स्वर

जब जिह्वा का व्यवहृत भाग अपनी निम्नतम अवस्था में रहता है तब उत्पन्न स्वर विवृत स्वर कहलाते हैं । जैसे - आ ।

निष्कर्षतः स्वरों के उच्चारण में जिह्वा की आड़ी स्थिति और पड़ी स्थिति का बड़ा महत्व है । यदि जिह्वा की आड़ी स्थिति के आधार पर स्वरों के तीन वर्ग (अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर) बनते हैं तो जिह्वा की पड़ी स्थिति के आधार पर संवृत, अर्धसंवृत (अथवा ईषत् संवृत), विवृत और अर्धविवृत (अथवा ईषद् विवृत) - ये चार भेद बनते हैं । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जिह्वा का व्यवहृत भाग, चाहे वह अग्र हो, मध्य हो या पश्च, कभी तो ऊपर तालु के पास चला जाता है (संवृत), कभी बिलकुल नीचे रहता है (विवृत), और कभी संवृत के पास रहता है (अर्ध संवृत), और कभी विवृत के पास (अर्ध विवृत) ।

ओष्ठों (अथवा ओठों) की स्थिति को भी स्वरों के वर्गीकरण का आधार माना जाता है। इस आधार पर स्वरों के तीन भेद हो जाते हैं - वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार और अवृत्ताकार ।

19 वृत्ताकार स्वर

जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकार अर्थात् गोल आकार में दिखाई पड़ते हैं, वे वृत्ताकार या वर्तुलाकार स्वर हैं । यथा - उ, ऊ, ओ, औ ।

20 अर्धवृत्ताकार स्वर

जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठों की आकृति पूर्णतया वृत्ताकार न होकर, अर्धवृत्ताकार हो जाती है, उन्हें अर्धवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे - अ, आ।

21 अवृत्ताकार स्वर

जिन स्वरों के उच्चारण में होंठों का आकार गोल नहीं रहता है, (अथवा ओष्ठ स्वाभाविक रूप से खुले रहते हैं) उन्हें अवृत्ताकार या अवर्तुलाकार स्वर कहते हैं। जैसे - इ, ई, ए, ऐ।

डा. भोलानाथ तिवारी के अनुसार 'ओष्ठों को वृत्ताकार करके जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें वृत्तमुखी स्वर (जैसे - हिन्दी ऊ, उ, औ, ओ, आ) तथा जिनका बिना ऐसा किया उच्चारण होता है आवृत्तमुखी स्वर (जैसे-हिन्दी अ, आ, इ, ई, ए, ऐ) कहते हैं, ये दो मुख्य भेद हैं । यों, गौणतः पूर्णवृत्तमुखी (अ), अल्पवृत्तमुखी (आ), उदासीन (अ) तथा पूर्णविस्तृत (ए) - आदि अन्य भेदोपभेद किये जा सकते हैं।

कंठ की मांसपेशियों की स्थिति के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं - स्थितिल और दृढ़। उनका विवरण इस प्रकार है :

22 शिथिल स्वर

जिन स्वरों के उच्चारण में कंठपिटक एवं चिबुक के बीच में कंठ की मांसपेशियों में कोई तनाव उत्पन्न नहीं होता, उन्हें शिथिल स्वर कहते हैं । जैसे - अ, इ, उ। इनके उच्चारण में कंठ की मांसपेशियाँ शिथिल ही रह जाती हैं ।

23 दृढ़ स्वर

जिन स्वरों के उच्चारण में कंठ की मांसपेशियों में स्वाभाविक तनाव सा आ जाता है अर्थात् कंठ की मांसपेशियाँ कहीं दृढ़ हो जाती हैं, उन्हें दृढ़ स्वर कहते हैं । जैसे - ई, ऊ । डा. भोलानाथ तिवारी का कहना है कि और गहराई में जाकर इनके 'पूर्ण' तथा 'अल्प' आदि कई उपभेद भी किये जा सकते हैं ।

स्वर-तंत्रियों की स्थिति के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं - घोष स्वर और अघोष स्वर ।

24 घोष स्वर

प्रायः सभी भाषाओं में सभी स्वर घोष स्वर होते हैं । अर्थात् उनके उच्चारण में स्वरतंत्रियाँ एक-दूसरे के बहुत निकट होती हैं ।

25 अघोष स्वर

अपवादस्वरूप कुछ भाषाओं में कुछ विशेष स्थितियों में अघोष स्वर उच्चरित होते हैं, जिनके उच्चारण के समय स्वरतंत्रियाँ एक-दूसरी से इतनी निकट नहीं होतीं कि उनके बीच से निकलनेवाली हवा स्वर - तंत्रियों से किनारों से टकराकर, घर्षण करती हुई निकले, ऐसे स्वर को फुसफुसाहटवाला स्वर या जपित स्वर भी कहते हैं।

डा. भोलानाथ तिवारी के अनुसार इसी प्रसंग में मर्मर स्वर (murmer vower) का भी उल्लेख किया जा सकता है । इसे अधिकांश विद्वानों ने घोष और जपित के बीच की स्थिति माना है, इसीलिए इसे अर्धघोष (half-vociced) कहते हैं । इसके साथ एक रगड़-जैसी आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसमें हवा का दबाव घोष और जपित दोनों प्रकार के स्वरों से कुछ कम होता है।

1.2.1.1.2 स्वरों का उच्चारण

शब्दों का अंतिम 'अ' स्वर उच्चरित नहीं होता । जैसे - गुण, रात, धन । इस नियम के कई अपवाद हैं -

अ) यदि अकारान्त शब्द का अंत्याक्षर संयुक्त हो तो उसका उच्चारण पूरा होता है; जैसे - सत्य, इन्द्र, गुरुत्व, धर्म, अशक्त ।

आ) इ ई ऊ के आगे य हो तो अंत्य अ का उच्चारण पूर्ण होता है ; जैसे - प्रिय, सीय, राजसूय ।

इ) एक व्यंजनवाले शब्दों के अंत्य 'अ' का उच्चारण पूरा पूरा होता है ; जैसे - न, व ।

हिन्दी में आगत अंग्रेजी शब्दों में एक नया स्वर ' आ ' उच्चरित होता है । यथा - कालेज, आफ़िस, डाक्टर आदि में । इसका ध्वन्यात्मक वर्णन इस प्रकार कर सकते हैं -

आ - पश्च, अर्धविवृत, वृत्ताकार, दीर्घस्वर ।

'आ' और 'आ' के परस्पर परिवर्तन से अर्थभेद प्रकट होता है । यथा - बाल (केश) - बाल (गेंद), हाल (दशा) - हाल (बड़ा कमरा), इत्यादि ।

हिन्दी के स्वर शब्दों की आदि, मध्य और अन्त्य स्थितियों में आ सकते हैं। यथा :

शब्दों की स्थितियाँ

स्वर	आदि स्थिति	मध्यस्थिति	अन्त्य स्थिति
अ	अब	कल (क्+अ)	न (न्+अ)
आ	आज	जाल (ज्+आ)	भला (ल् + आ)
इ	इधर	तिनका (त् + इ)	हानि (न् + इ)
ई	ईख	कील (क् + ई)	लाली (ल् + ई)
उ	उदर	बुरा (ब् + उ)	आयु (य् + उ)
ऊ	ऊन	दूर (द् + ऊ)	भू (भ् + ऊ)
ऋ	ऋण	कृपा (क् + ऋ)	
ए	एक	बेल (ब् + ए)	ले (ल् + ए)
ऐ	ऐश्वर्य	बैल (ब् + ऐ)	है (ह् + ऐ)

स्वर	आदि स्थिति	मध्यस्थिति	अन्त्य स्थिति
ओ	ओर	शोर (श् + ओ)	जो (ज् + ओ)
औ	और	शौक (श् + औ)	नौ (न् + औ)
<u>अनुनासिक स्वर</u>			
अँ	अँखिया	हँसी (ह् + अँ)	
आँ	आँख	बाँस (ब् + आँ)	कहाँ (ह् + आँ)
उँ	उँगली	मुँह (म् + उँ)	
ऊँ	ऊँचा	पूँछ (प् + ऊँ)	करूँ (र् + ऊँ)
ऐं	भैसँ (भ् + ऐं)	हैं (ह् + ऐं)	
इँ	इँट		कहीं (ह् + इँ)
एँ		मालाएँ	
औं	औंधा	भौंह (भ् + औं)	

1.2.1.1.3 अनुस्वार और विसर्ग

अनुस्वार स्वर के ऊपर होता है, जैसे - अं, इं । विसर्ग स्वर के पीछे आता है, जैसे - अः, कः । विसर्ग (कः) संस्कृत शब्दों में आता है, हिन्दी के तद्भव, देशी और विदेशी शब्दों में नहीं आता । उदाहरण - दुःख, अन्तःकरण, अधःपतन, विशेषतः । अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं । क्योंकि ये न स्वर होते हैं, न व्यंजन ।

अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक स्वर के आने से अर्थ-भेद प्रकट होता है। यथा - हंस (पक्षी विशेष), हँस ('हँसना' का आज्ञार्थक रूप, मध्यम पुरुष, एकवचन)।

1.2.1.2 व्यंजनों का वर्गीकरण

व्यंजनों के उच्चारण में वायु अवरोधसहित बाहर निकलती है । परंपरागत वर्गीकरण इस प्रकार है :

वर्गीय व्यंजन - 25	अवर्गीय व्यंजन - 8
कवर्ग - क् ख् ग् घ् ङ्	अन्तःस्थ व्यंजन - य् र् ल् व्
चवर्ग - च् छ् ज् झ् ञ्	ऊष्म व्यंजन - श् ष् स् ह्
टवर्ग - ट् ठ् ड् ढ् ण्	
तवर्ग - त् थ् द् ध् न्	
पवर्ग - प् फ् ब् भ् म्	

पं. कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिन्दी में व्यंजन 33 हैं । वर्गीय व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के अनुसार रखा गया है । व्यंजनों के सुगम उच्चारण के लिए 'अ' मिलाया जाता है । जैसे - क, ख, ग, घ, ङ । शुद्ध उच्चारण दिखाने के लिए उनके नीचे एक तिरछी रेखा खींची जाती है, जैसे - क् ख् ग् घ् ङ् ।

वर्गीय व्यंजनों का उच्चारण कण्ठ, तालु, मूर्धा, दन्त, ओष्ठ - स्थानों के स्पर्श से होता है । अतः इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं । उच्चारण - स्थानों के अनुसार कवर्गीय व्यंजन 'कण्ठ्य' (कण्ठ से उत्पन्न) कहलाते हैं ; चवर्गीय व्यंजन 'तालव्य' कहलाते हैं ; टवर्गीय व्यंजन 'मूर्धन्य' कहलाते हैं; तवर्गीय व्यंजन 'दन्त्य' कहलाते हैं और पवर्गीय व्यंजन 'ओष्ठ्य' कहलाते हैं । इनके अतिरिक्त य् 'तालव्य है ; र् और ल् 'वर्त्स्य' (जबड़े पर जीभ से उच्चरित होनेवाले) ; श् 'तालुवर्त्स्य'; ष् 'मूर्धन्य' और ह् 'कण्ठ्य' है । ऊपरी वर्गीकरण को स्थान के आधार पर माना जाता है ।

बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के दो भेद हैं - अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राणों के उच्चारण में प्राणवायु का उपयोग कम श्रमपूर्वक किया जाता है । किन्तु महाप्राणों के उच्चारण में प्राणवायु का उपयोग अधिक श्रमपूर्वक किया जाता है । अल्पप्राणों के उच्चारण में 'हकार' जैसी ध्वनि नहीं होती और परिश्रम भी कम पड़ता है । महाप्राणों के उच्चारण में 'हकार' जैसी ध्वनि रहती है और परिश्रम भी अधिक करना पड़ता है । प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवाँ वर्ण अल्पप्राण है । अन्तःस्थ व्यंजन भी अल्पप्राण हैं । यथा - क ग ङ, च ज ञ, ट ड ण, त द न, प ब म, य र ल व । प्रत्येक वर्ग का षत्स्पृष्ट या अन्तःस्थ व्यंजन - य र ल व - ये 19 व्यंजन सघोष हैं । शेष, अर्थात् वर्ग के पहले, दूसरे और ऊष्म व्यंजन - कुल 14 सघोष हैं । ङ ञ ण न म - इन्हें नासिक्य व्यंजन कहते हैं ।

1.2.1.2.1 अर्ध-स्वर व्यंजन

य् व् - क्रमशः अर्ध स्वर माने जाते हैं । इनकी स्थिति इतनी विचित्र है कि न तो ये पूर्णतः व्यंजन होने की विशेषता रखते हैं और न पूर्णतः स्वर होने की । इनका व्यवहार कहीं स्वरों - सा है तो कहीं व्यंजनों जैसा । ये स्वर तथा व्यंजन के बीच की तीसरी श्रेणी में आते हैं । कुछ भाषाशास्त्रियों ने संस्कृत वैयाकरणों द्वारा दिये गए 'अन्तःस्थ' नाम का भी यही अर्थ लगाया है । अंग्रेजी में इन्हें semi-vower (अर्ध-स्वर) कहा गया है । य् व् के उच्चारण के लिए जीभ संवृत या अर्ध संवृत से विवृत स्थिति की ओर जाती है । कुछ लोग इ हैं स्वतंत्र श्रुति (Glide) मानते हैं।

1.2.1.2.2 संयुक्त व्यंजन

जब दो या अधिक व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं रहता, तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं । यथा - 'शुल्क' में ल्क, 'रक्त' में क्त, 'व्यथा' में व्य, 'नम्र' में म्र, 'कार्य' में र्य, 'त्वचा' में त्व - इत्यादि ।

1.2.1.2.3 नये व्यंजन

क्ष त्र ज्ञ - ये तीनों हिन्दी की वर्णमाला में परिगणित किये जाते हैं। वास्तव में ये संयुक्त व्यंजन हैं। यथा : - क् + ष् + अ = क्ष । यह केवल संस्कृत तत्सम शब्दों में आता है । उदाहरण - क्षण, क्षति, लक्षण, अक्षय, पक्ष, शिक्षा - इत्यादि। त् + र् + अ = त्र । उदाहरण - त्रास, त्रस्त, छात्र, नक्षत्र, पात्रता इत्यादि। ज् + ञ् + अ = ज्ञ । उदाहरण - ज्ञान, विज्ञान, अभिज्ञ, कृतज्ञ, जिज्ञासा - इत्यादि। 'ज्ञ' के अनेक उच्चारण हैं । उत्तर में ग्यँ और दक्षिण में ज्यँ - ऐसा उच्चारण होता है । वास्तव में यह 'ज्ञ' का संयोग है और यही उसका शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। डा. हरदेव बाहरी के अनुसार ड़, ढ़, क़, ख़, ग़, ज़, फ़ - इन नवागत व्यंजनों को भी हिन्दी वर्णमाला में सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

1.2.1.2.4 अनुस्वार और अनुनासिक

अनुस्वार और अनुनासिक में उच्चारणगत अंतर है । जब अनुनासिकता केवल व्यंजन में होती है, तब अनुस्वार या अनुनासिक चिह्न नहीं लगता, जैसे -

कण्व, तुम्हारा, उन्हें । जब अनुनासिकता व्यंजन और स्वर दोनों में होती है, तब विकल्प से अनुस्वार चिह्न लगता है, जैसे - संत, पंप, अंक, संबंध, इंजन और सन्त, पम्प, अङ्क, सम्बन्ध, इञ्जन । किंतु जब अनुनासिकता केवल स्वर में रहती है, तो अनुनासिक चिह्न चन्द्रबिन्दु लगता है, जैसे - कुँअर, चँवर, अँधेरा, गँवार, भँवरा, मँडराना, हँसना, सँवारना।

1.2.1.2.5 पंचमाक्षर और अनुस्वार

वर्गों के पाँचवें अक्षर - ङ ञ ण न म - पंचमाक्षर कहलाते हैं । वे अनुनासिक हैं । हिन्दी में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार से काम लिया जाता है, जैसे - पङ्क - पंक, अञ्जना - अंजना, चञ्चल - चंचल, दण्ड - दंड, जन्तु-जंतु, शम्भु-शंभु ।

1.2.1.2.6 बारहखड़ी

जब व्यंजन स्वरयुक्त हो जाते हैं, तब उनके अनेक उच्चारण होते हैं । व्यंजनों के साथ लगनेवाले स्वर के रूप को 'मात्रा' कहते हैं । 'अ' की मात्रा व्यंजन में मिल जाती है । शेष स्वरों की मात्राएँ इस प्रकार लिखी जाती हैं -

स्वर - आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ

मात्रा - ा ि ी ु ू ृ े ै ो ौ

व्यंजन + मात्रा = बारहखड़ी

क् + अ = क

क् + ा = का

क् + ि = कि

क् + ी = की

क् + ु = कु

क् + ू = कू

क् + ृ = के

क् + ै = कै

क् + ो = को

क् + ौ = कौ

'कं' क् + अ + से बना है और 'कः' क् + अ + के योग से बना है । (क् +) 'कृ' केवल संस्कृत तत्सम शब्दों में आता है, यथा - कृष्ण, कृपा, कृति, कृत्रिम, कृतज्ञ - इत्यादि । इसी प्रकार अन्य व्यंजनों की बारहखड़ी समझनी चाहिए । पं. कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, 'ऋ की मात्रा को छोड़कर और अं, अः को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को 'बारहखड़ी' कहते हैं । यह शब्द 'द्वादशाक्षरी' का अपभ्रंश है ।

1.3 सारांश

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आपने जाना कि :

भाषा का मौखिक रूप उच्चारणात्मक होता है और लिखित रूप वर्णात्मक।

लिखित भाषा में प्रयुक्त होनेवाले ध्वनिचिह्न 'वर्ण' कहलाते हैं ।

वर्णों के समुदाय को 'वर्णमाला' कहते हैं ।

शब्द का लिखित रूप 'वर्तनी' कहलाता है ।

स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में हवा मुख-विवर से बिना रुकावट के बाहर निकलती है ।

जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख-विवर में से हवा के बाहर निकलते समय रुकावट उत्पन्न होती है, वे व्यंजन हैं ।

उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं - मूलस्वर और संधिस्वर ।

उच्चारण के कालमान के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं - लघु और गुरु ।

उच्चारण के कालमान को 'मात्रा' कहते हैं ।

जाति के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं - सवर्ण / सजातीय और असवर्ण / विजातीय।

अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं - अनुनासिक / सानुनासिक और अननुनासिक / निरनुनासिक ।

जिह्वा के विभागों की दृष्टि से स्वरों के तीन भेद हैं - अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्च स्वर।

जिह्वा के व्यवहृत भागों की ऊँचाई के आधार पर स्वरों के चार भेद हैं - संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत ।

ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वरों के तीन प्रकार हैं - वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार और अवृत्ताकार ।

कण्ठ की मांसपेशियों की स्थिति के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं - शिथिल स्वर और दृढ़ स्वर ।

स्वर-तंत्रियों की स्थिति के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं - घोष / सघोष और अघोष ।

अनुस्वार स्वर के ऊपर होता है और विसर्ग स्वर के पीछे आता है।

व्यंजनों के दो परंपरागत भेद हैं - वर्गीय और अवर्गीय।

बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के दो भेद हैं -

अल्पप्राण और महाप्राण।

ङ ञ ण न म नासिक्य व्यंजन हैं।

य् व् अर्ध-स्वर (semi-vover) माने जाते हैं।

क्ष, त्र, ज्ञ - ये हिन्दी वर्णमाला में परिगणित हैं । ये मूलतः संयुक्त व्यंजन हैं।

ऋ की मात्रा को छोड़कर और अं अः को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को 'बारहखड़ी' कहते हैं । यह शब्द 'द्वादशाक्षरी' का अपभ्रंश है ।

1.4 बोध-प्रश्न

1) मूलस्वर और संधिस्वर में क्या अंतर है ?

2) सवर्ण और असवर्ण स्वर में क्या अंतर है ?

3) शिथिल स्वर दृढ़ स्वरों से क्यों भिन्न होते हैं ?

4) अर्ध-स्वर किसे कहते हैं ?

5) संयुक्त व्यंजन का निर्माण कैसे होता है ?

1.5 बोध - प्रश्नों के उत्तर

1) मूल स्वर किसी दूसरे स्वर से नहीं बनते । किंतु संधि स्वर मूलस्वरों के मेल से बनते हैं ।

2) समान स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न होनेवाले स्वर 'सवर्ण' कहलाते हैं तो भिन्न-भिन्न स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न स्वर 'असवर्ण' कहलाते हैं ।

3) शिथिल स्वरों के उच्चारण में कण्ठपिटक एवं चिबुक के बीच में कण्ठ की मांसपेशियों में कोई तनाव उत्पन्न नहीं होता । किन्तु दृढ़ स्वरों के उच्चारण में तनाव उत्पन्न होता है ।

4) जो वर्ण न तो पूर्णतः व्यंजन होने की विशेषता रखते हैं और न पूर्णतः स्वर होने की, वे अर्धस्वर हैं । य् व् - ये दोनों 'अर्ध-स्वर' कहलानेवाले व्यंजन हैं । अतः इनको 'अर्ध-स्वर व्यंजन' कहा गया है ।

5) जब दो या अधिक व्यंजनों के बीच में स्वर का व्यवधान नहीं रहता, तब संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है ।

1.6 परीक्षार्थ प्रश्नों के नमूने

i) स्वर की परिभाषा देते हुए, विभिन्न आधारों पर हिन्दी के स्वरों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए ।

ii) व्यंजन की परिभाषा देते हुए, विभिन्न आधारों पर हिन्दी के व्यंजनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए ।

1.7 उत्तर-संकेत

i) देखिए उपपाठ 1.2.1.1 और 1.2.1.1.1

ii) देखिए उपपाठ 1.2.1.2

1.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1 मानक हिन्दी व्याकरण और रचना - डा. हरिवंश तरुण, प्रकाशन संस्थान, 4715/21, दयानंद मार्ग, दरिया गंज, नई दिल्ली - 110 002

2 हिन्दी का व्यावहारिक व्याकरण - डा. विजय पाल सिंह, ग्रन्थम, रामबाग, कानपुर - 208012

3 हिन्दी का सामान्य ज्ञान - भाग 1 - डा. हरदेव बाहरी, लोकभारती प्रकाशन - 15 - ए महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद - 3

4 व्यावहारिक हिन्दी - डा. कैलाश चन्द्र भाटिया, तक्षशिला प्रकाशन 23/4762, अन्सारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली - 110 002

5 हिन्दी व्याकरण - पं. कामता प्रसाद गुरु

6 हिन्दी वर्तनी - पं. किशोरीदास वाजपेयी

7 मानक देवनागरी वर्णमाला, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, 1966, नई दिल्ली

NOTES

BLOCK - 5

Unit - 2

संधि और समास

02.0 उद्देश्य

02.1 प्रस्तावना

02.2 मूलपाठ - संधि और समास

02.2.1 पाठ-प्रवेश - संधि की परिभाषा

02.2.1.1 स्वर संधि

02.2.1.1.1 दीर्घसंधि

02.2.1.1.2 गुणसंधि

02.2.1.1.3 वृद्धिसंधि

02.2.1.1.4 यण् संधि

02.2.1.1.5 अयादि संधि

02.2.1.2 व्यंजनसंधि

02.2.1.3 विसर्गसंधि

02.2.2 समास - परिभाषा एवं अर्थ

02.2.2.1 संधि और समास में अंतर

02.2.2.2 समास के भेद

02.2.2.3 अव्ययीभाव समास

02.2.2.4 तत्पुरुष समास

02.2.2.4.1 व्यधिकरण तत्पुरुष

02.2.2.4.2 समानाधिकरण तत्पुरुष (कर्मधारय समास)

02.2.2.4.2.1 विशेषतावाचक कर्मधारय समास

02.2.2.4.2.2 उपमावाचक कर्मधारय समास

2.2.2.5 द्वंद्व समास

2.2.2.6 बहुव्रीहि समास

2.3 सारांश

2.4 बोध - प्रश्न

2.5 बोध - प्रश्नों के उत्तर - संकेत

2.6 परीक्षार्थ प्रश्नों के नमूने

2.7 उत्तर - संकेत

2.8 अध्ययन - सामग्री

2.0 उद्देश्य

संधि की परिभाषा एवं प्रकार, समास की परिभाषा एवं प्रकार, संधि और समास में अंतर समझना प्रस्तुत इकाई का उद्देश्य है ।

2.1 प्रस्तावना

मुख-सुख की प्रवृत्ति के कारण संधि होती है। संधि का अर्थ है जोड़ । संधि-कार्य में दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण हो जाता है। दो संबद्ध शब्दों को पास-पास लाकार मिलाने का नाम समास है । 'समास' का अर्थ है - ' संक्षेप ' ।

2.2 मूलपाठः संधि और समास

इस इकाई का प्रतिपाद्य दो उपपाठों में विभक्त है । प्रथम उपपाठ (2.2.1) में संधि और द्वितीय उपपाठ (2.2.2) में समास का सोदाहरण विवेचन प्रस्तुत किया जाएगा।

2.2.1 पाठ-प्रवेश - संधि की परिभाषा

दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास-पास आने के कारण उनके मेल से होनेवाला विकार 'संधि' कहलाता है । संधि-कार्य में प्रथम शब्द के अंतिम और द्वितीय शब्द के प्रारंभिक अक्षर एक दूसरे से मिल जाते हैं और उनमें परिवर्तन हो जाता है । संयोग में अक्षर जैसे के तैसे रहते हैं । किंतु संधि में दो अक्षरों के स्थान पर कोई भिन्न अक्षर हो जाता है । जैसे संधि = दिक् + गज (क्+ग) दिग्गज । संयोग = ग् + ग = ग्ग । संधि के तीन भेद हैं - स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग - इन सब में संधि - कार्य होता है ।

2.2.1.1 स्वरसंधि

स्वरसंधि की परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं :

i) दो स्वरों के पास आने से जो संधि होती है, उसे स्वर संधि कहते हैं, जैसे - राम + अवतार = राम् + अ + अवतार = राम् + आ + वतार = रामावतार
(हिन्दी व्याकरण, कामना प्रसाद गुरू)

ii) स्वर के साथ स्वर का जो संयोग होता है उसे स्वरसंधि कहेत हैं। (भाषा भास्कर, पाद्री एथरिंगटन)

iii) दो स्वर-वर्णों की संधि को स्वर - संधि कहते हैं। इस संधि में रूपांतर स्वरों में ही होता है । यथा -

विद्या + अर्थी = विद्यार्थी (आ + अ = आ)

मही + इन्द्र = महीन्द्र (ई + इ = ई)

नर + इन्द्र = नरेन्द्र (अ + इ = ए)

इति + आदि = इत्यादि (इ + आ = या)

(मानक हिन्दी व्याकरण और रचना, डा. हरिवंश तरुण)

iv) जहाँ स्वर वर्णों का आपस में मेल हो तो उसे 'स्वर संधि' कहते हैं । (व्यावहारिक हिन्दी, डा. कैलाश चन्द्र भाटिया)

स्वरसंधि के पाँच भेद हैं - दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण् संधि, अयादि संधि । दीर्घ संधि को 'सवर्ण दीर्घ संधि' भी कहते हैं । पाद्री एथरिंगटन् ने अयादि संधि को ' अयादि चतुष्टय ' कहा है।

2.2.1.1.1 दीर्घ संधि

i) यदि दो सवर्ण (सजातीय) स्वर पास पास आवें तो दोनों के बदले सवर्ण दीर्घ स्वर होता है । (कामना प्रसाद गुरु)

ii) जब समान दो स्वर ह्रस्व वा दीर्घ इकट्ठे होते हैं तो दोनों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर कर देते हैं । (पाद्री एथरिंगटन्)

iii) संधि में जब दो सवर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर मिलते हैं तब वे दीर्घ हो जाते हैं । (डा. हरिवंश तरुण)

iv) दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, अर्थात् अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ के बाद जब क्रमशः वही स्वर आये तो दीर्घ हो जाते हैं । (डा. कैलाश चन्द्र भाटिया)

v) एक ही स्वर के दो रूप - ह्रस्व और दीर्घ - एक साथ आ जाएँ तो दोनों जुड़कर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। (हिन्दी भाषा का सामान्य ज्ञान. भाग I, डा. हरदेव बाहरी)

दीर्घ संधि को इस प्रकार दिखाया जा सकता है :

अ) सवर्ण ह्रस्व + सवर्ण ह्रस्व = सवर्ण दीर्घ ।

यथा - अ + अ = आ । परम + अर्थ = परमार्थ ।

आ) सवर्ण ह्रस्व + सवर्ण दीर्घ = सवर्ण दीर्घ ।

यथा = अ + आ = आ । रत्न + आकर = रत्नाकर ।

इ) सवर्ण दीर्घ + सवर्ण ह्रस्व = सवर्ण दीर्घ ।

यथा - आ + अ = आ । विद्या + अभ्यास = विद्याभ्यास ।

ई) सवर्ण दीर्घ + सवर्ण दीर्घ = सवर्ण दीर्घ ।

यथा - आ + आ = आ । वार्ता + आलाप = वार्तालाप ।

नैयाकरणों के अनुस्वार दो सवर्ण स्वरों के बदले आनेवाला सवर्ण दीर्घ स्वर ' आदेश ' कहलाता है । दीर्घ संधि में जुड़नेवाले दो सवर्ण स्वरों का लोप होता है और उनके बदले सवर्ण दीर्घ स्वर 'आदेश' के रूप में आता है । कामना प्रसाद गुरु ने सवर्ण स्वरों के आधार पर दीर्घ संधि को चार वर्गों में रखा है । यथा -

1) अ और आ की संधि

अ + आ = आ - कल्प + अंत = कल्पांत ।

अ + आ = आ - कुश + आसन = कुशासन ।

आ + अ = आ - विद्या + अभ्यास = विद्याभ्यास ।

आ + आ = आ - महा + आशय = महाशय ।

2) इ और ई की संधि

इ + इ = ई - अभि + इष्ट = अभीष्ट ।

इ + ई = ई - कपि + ईश = कपीश ।

ई + इ = ई - मही + इन्द्र = महीन्द्र ।

ई + ई = ई - सती + ईश = सतीश ।

3) उ और ऊ की संधि

उ + उ = ऊ - भानु + उदय = भानूदय ।

उ + ऊ = ऊ - सिंधु + ऊर्मि = सिंधूर्मि ।

ऊ + उ = ऊ - वधू + उत्सव = वधूत्सव ।

ऊ + ऊ = ऊ - भू + उर्द्व = भूर्द्व, भू + ऊर्ध्व = भूर्ध्व ।

4) ऋ और ऋ की संधि

ऋ + ऋ = ॠ - मातृ + ऋण = मातॄण

यहाँ विकल्प से 'मांतृण' रूप होता है । इससे सिद्ध होता है कि ऋकार के दीर्घ रूप 'ॠ' की आवश्यकता नहीं है ।

2.2.1.1.2 गुण संधि

गुण संधि के नियम को विभिन्न विद्वानों ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है -

i) यदि अ वा आ के आगे इ वा ई रहे तो दोनों मिलकर ए; उ वा ऊ रहे तो दोनों मिलकर ओ, और ऋ रहे तो दोनों मिलकर अर् हो जाता है । इस विकार को गुण कहते हैं । (कामता प्रसाद गुरु)

ii) ह्रस्व अथवा दीर्घ आकार से परे ह्रस्व वा दीर्घ इ उ ऋ रहे तो अ इ मिलकर ए और अ उ मिलकर ओ और अ ऋ मिलकर अर् होता है । इसी विकार को गुण कहते हैं । (पाद्री एथरिंगटन्)

iii) यदि अ और आ के बाद इ, ई, उ, ऊ और ऋ आयें तो इ, ई के स्थान पर 'ए'; उ, ऊ के स्थान पर 'ओ' तथा ऋ के स्थान पर 'अर्' हो जाते हैं । (डा. कैलाश चन्द्र भाटिया)

गुण - संधि के उदाहरण

अ + इ = ए - नर + इन्द्र = नरेन्द्र ।

अ + ई = ए - सुर + ईश = सुरेश ।

आ + इ = ए - महा + इन्द्र = महेन्द्र ।

आ + ई = ए = महा + ईश = महेश ।

अ + उ = ओ - चन्द्र + उदय = चन्द्रोदय ।

अ + ऊ = ओ - जल + ऊर्मि = जलोर्मि ।

आ + उ = ओ - महा + उत्सव = महोत्सव ।

आ + ऊ = ओ - महा + ऊर्मि = महोर्मि ।

अ + ऋ = अर् - सप्त + ऋषि = सप्तर्षि ।

आ + ऋ = अर् - महा + ऋषि = महर्षि ।

2.2.1.1.3 वृद्धि संधि

यदि 'अ' या 'आ' के बाद 'ए' या 'ऐ' आए तो दोनों के स्थान में 'ऐ' हो जाता है तथा 'ओ' या 'औ' आए तो दोनों के स्थान में 'औ' हो जाता है । इसे वृद्धि संधि कहते हैं । यथा :

अ + ए = ऐ - एक + एक = एकैक ।

आ + ए = ऐ - मत + ऐक्य = मतैक्य ।

आ + ए = ऐ - सदा + एव = सदैव ।

आ + ऐ = ऐ - महा + ऐश्वर्य = महैश्वर्य ।

अ + ओ = औ - जल + ओघ = जलौघ ।

अ + औ = औ - परम + औषध = परमौषध ।

आ + ओ = औ - महा + ओजस्वी = महौजस्वी ।

आ + औ = औ - महा + औषध = महौषध ।

2.2.1.1.4 यण् संधि

यदि इ, ई, उ, ऊ और ऋ के बाद भिन्न अथवा विजातीय स्वर आए तो इ/ई का 'य्' ; उ/ऊ का 'व्' और ऋ का 'र्' हो जाता है । य् व् र् इन तीन वर्णों को 'यण्' कहा जाता है। उदाहरण :

इ + अ = य - यदि + अपि = यद्यपि ।

इ + आ = या - इति + आदि = इत्यादि ।

इ + उ = यु - अति + उक्ति = अत्युक्ति ।

इ + ऊ = यू - नि + ऊन = न्यून ।

इ + ए = ये - प्रति + एक = प्रत्येक ।

उ + अ = व - अनु + इति = अन्विति ।

उ + ई = वी - अनु + ईक्षा = अन्वीक्षा ।

उ + ए = वे - अनु + एषण = अन्वेषण ।

ऋ + अ = र - पितृ + अनुमति = पित्रनुमति ।

ऋ + आ = रा - पितृ + आज्ञा = पित्राज्ञा ।

ऋ + ई = री - कर्तृ + ई = कत्री ।

2.2.1.1.5 अयादि संधि

यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न अथवा विजातीय स्वर आए तो इनके स्थान में क्रमशः 'अय्' 'आय्' 'अव्' और 'आव्' हो जाता है । अय् आदि चार आदेश हैं । अतः इस संधि को अयादि चतुष्टय भी कहा जाता है । उदाहरण :

ए + अ = अय् - पे + अन = नयन ।

ऐ + अ = आय् - गै + अक = गायक ।

ओ + अ = अव् - पो + अन = पवन । भो + अन = भवन ।

औ + अ = आव् - पौ + अक = पावक ।

औ + इ = आव् + इ - नौ + इक = नाविक ।

इस संधि के उदाहरण संस्कृत से लिये गए हैं । हिन्दी में इसके उदाहरण नहीं मिलते।

2.2.1.2 व्यंजन - संधि

कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में - 'जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण हि स्वर हो चाहे व्यंजन, तो उनकी संधि को व्यंजन - संधि कहते हैं; जैसे, जगत् + ईश = जगदीश, जगत् + नाथ = जगन्नाथ।

भाषा भास्कर (पाद्री एथरिंगटन्) के अनुसार 'व्यंजन अथवा स्वर के साथ जो व्यंजन का विकार होता है, उसे व्यंजनसंधि कहते हैं ।

डा. हरिवंश तरुण के शब्दों में - "व्यंजन-वर्ण के साथ किसी स्वर अथवा भिन्न व्यंजन - वर्ण की संधि को व्यंजनसंधि कहते हैं । व्यंजनसंधि में रूपांतर व्यंजन में ही होता है।

व्यंजन - संधि के अनेक भेद हैं जिनके संबंध में कुछ नियम इस प्रकार हैं :-

1) यदि क्, च्, ट्, त्, प् के उपरांत, अनुनासिक को छोड़कर, कोई घोष वर्ण आए तो उसके स्थान में क्रम से वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है । जैसे - दिक् + गज = दिग्गज, वाक्+ ईश = वागीश, षट् + रिपु = षड्रिपु, अच् + अंत = अजंत, षट् + आनन = षडानन, तत् + रूप = तद्रूप, अप् + ज = अब्ज ।

2) किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है । जैसे - वाक् + मय = वाङ्मय, षट् + मास = षण्मास, सत् + मार्ग = सन्मार्ग, उत् + नति = उन्नति, जगत् + नाथ = जगन्नाथ।

3) यदि 'त्' के बाद कोई स्वर, ग्, घ्, द्, ध्, ब्, भ्, य्, र् या व् आए तो 'त्' के स्थान में 'द्' हो जाता है । यथा - जगत् + ईश = जगदीश, सत् + उपाय = सदुपाय, उत् + गम = उद्गम, उत् + घाटन = उद्घाटन, उत् + दाम = उद्दाम, सत् + धर्म = सद्धर्म, उत् + बल = उद्बल, सत् + भाव = सद्भाव, उत् + योग = उद्योग, उत् + वेग = उद्वेग, उत् + वेलित = उद्वेलित ।

4) 'म' के आगे स्वर्श व्यंजन हो तो 'म्' अनुस्वार अथवा उसी वर्ग के अनुनासिक वर्ण में बदल जाता है । जैसे - अहम् + कार = अहंकार, अहङ्कार । सम् + कल्प = संकल्प, सङ्कल्प । सम् + तोष = सन्तोष, संतोष । सम् + पूर्ण = संपूर्ण, सम्पूर्ण। सम् + गम = संगम । सम् + चय = संचय ।

5) यदि 'म्' के बाद कोई अंतःस्थ या ऊष्म वर्ण हो तो 'म्' का अनुस्वार हो जाता है । यथा - सम् + वेग = संवेग, सम् + योग = संयोग, सम् + लाप = संलाप, सम् + हार= संहार, सम् + शय = संशय, सम् + सार = संसार ।

6) यदि 'त्' अथवा 'द्' के बाद 'ल्' हो तो 'त्' अथवा 'द्' के स्थान में 'ल्' हो जाता है और यदि 'न्' के बाद 'ल्' हो तो 'न्' का अनुनासिकसहित 'ल्' हो जाता है । यथा - उत् + लास = उल्लास, महान् + लाभ = महाँल्लाभ ।

7) यदि 'त्' अथवा 'द्' के बाद 'श्' हो तो 'त्' अथवा 'द्' के स्थान में 'च्' तथा 'श्' के बदले 'छ्' हो जाता है । यथा - उत् + श्वास = उच्छ्वास, महत् + शक्ति = महच्छक्ति ।

8) 'त्' या 'द्' के बाद 'ज्' अथवा 'झ्' हो तो 'त्/द्' का 'ज्' हो जाता है । जैसे - सत् + जन = सज्जन, उत् + झटिका = उज्झटिका ।

9) 'त्' या 'द्' के बाद 'ट्/ड्' हे तो 'त् + द्' का 'ट् / ड्' हो जाता है। जैसे - तत् + टीका = तट्टीका, उत् + डयन = उड्डयन ।

10) 'त्/द्' के बाद 'च्/छ्' हो तो 'त्/द्' का 'च्' हो जाता है । जैसे - उत् + चारण = उच्चारण, सत् + चरित्र = सच्चरित्र, उत्+छेद = उच्छेद ।

11) यदि पहले शब्द/पद के अंत में स्वर हो और आगे के शब्द का पहला वर्ण 'छ्' हो तो 'छ्' का 'च्छ्' हो जाता है । यथा - आ + छादन = आच्छादन, परि + छेद = परिच्छेद, अनु + छेद = अनुच्छेद, अव + छेद = अवच्छेद, तरु + छाया = तरुच्छाया ।

12) यदि इकारान्त या उकारान्त उपसर्ग के बाद कोई 'स्' से प्रारंभ होनेवाला शब्द आए तो 'स्' का 'ष्' हो जाता है। यथा - नि+सिद्ध = निषिद्ध, वि + सम = विषम, अभि + सेक = अभिषेक, सु + सुप्त = सुषुप्त ।

13) यदि पहले शब्द के अंत में किसी वर्ग का पहला व्यंजन हो और दूसरे शब्द के प्रारम्भ में 'ह्' हो तो पहला व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है और 'ह्' उसी वर्ग का चौथा व्यंजन बन जाता है । जैसे - वाक् + हरि = वागघरि, उत् + हार = उद्धार, उत् + हत = उद्धत, उत् + हरण = उद्धरण, तत् + हित = तद्धित ।

14) यदि 'च्' या 'ज्' के बाद 'ब्' हो तो 'न्' का 'ञ्' हो जाता है। यथा - याच् + ना = याच्ञा, यज् + न = यज्ञ।

15) यदि 'ष्' के बाद 'त् / थ्' हो तो उनके बदले क्रमशः 'ट्' तथा 'ठ्' हो जाता है। यथा - निकृष् + त् = निकृष्ट, आकृष् + त = आकृष्ट, पृष् + थ = पृष्ठ, षष् + थ = षष्ठ।

16) ऋ, र् अथवा ष् के बाद 'न्' हो तो 'न्' का 'ण्' हो जाता है । बीच में कवर्ण, पवर्ग, अनुस्वार, य्, व्, ह् अथवा स्वर आए तो 'न्' का 'ण्' हो जाता है । यथा- भूष् + अन = भूषण, भर् + अन = भरण, प्र + मान = प्रमाण, राम + अयन = रामायण, ऋ + न = ऋण।

2.2.1.3 विसर्ग संधि

कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में - 'विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की संधि को विसर्गसंधि कहते हैं ; जैसे - तपः + वन = तपोवन, निः + अंतर = निरंतर।

' भाषा भास्कर (पाद्री एथरिंगटन्) के अनुसार - 'व्यंजन अथवा स्वर के साथ जो विसर्ग का विकार होता है उसे विसर्गसंधि कहते हैं। ' डा. हरिवंश तरुण के शब्दों में - 'विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण की संधि को ' विसर्ग संधि ' कहते हैं। इस संधि में विसर्ग का ही रूपांतर होता है। ' यथा - दुः + तर = दुस्तर, निः + चय= निश्चय, निः + छल = निश्छल, मनः + रथ = मनोरथ, मन- + योग = मनोयोग। डा. कैलाश चन्द्र भाटिया व कहना है कि ' स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार विसर्ग (ः) में होता है, उसे विसर्गसंधि कहते हैं। हिन्दी में विसर्ग का अस्तित्व नहीं, पर संस्कृत से आगत शब्दों में इसका प्रयोग मिलता है। और वहीं संधि को भी स्वीकार करना पड़ता है। '

विसर्ग संधि से संबंधित कुछ नियम इस प्रकार हैं :

1) यदि विसर्ग के पहले 'अ' स्वर है और उसके बाद कोई घोष व्यंजन हो (अर्थात् वर्ग का तीसरा / चौथा / पाँचवाँ वर्ण अथवा य्, र्, ल्, व्, ह् हो) तो विसर्ग का 'ओ' हो जाता है । जैसे - अधः + गति = अधोगति, तपः + बल = तपोबल, यशः + लाभ = यशोलाभ, सरः + ज = सरोज, यशः + दा = यशोदा, यशः + धरा = यशोधरा, नभः + मण्डल = नभोमण्डल, मनः + योग = मनोयोग, मनः + रथ = मनोरथ, वयः + वृद्ध = वयोवृद्ध।

2) यदि विसर्ग के पहले 'अ/आ' को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा आगे 'इ' के अतिरिक्त कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर 'र्' हो जाता है। यथा - दुः+ बल = दुर्बल, दुः + वचन = दुर्वचन, निः + विकार = निर्विकार, निः + जल = निर्जल, दुः + आत्मा = दुरात्मा, निः + आधार = निराधार, निः + उत्तर = निरुत्तर

3) यदि विसर्ग के पहले इकार अथवा उकार हो और विसर्ग के बाद क् / ख् / प् / फ् हो तो विसर्ग के स्थान पर 'ष्' हो जाता है । यथा -
निः + कपट = निष्कपट, दुः + कर = दुष्कर, दुः + फल = दुष्फल, निः + पाप = निष्पाप, निः + फल = निष्फल, निः + कारण = निष्कारण ।

4) यदि विसर्ग के बाद क् / ख् / प् / फ् आये तो संधि होने पर विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाता है । यथा - प्रातः + काल = प्रातः काल, अंतः + करण = अंतःकरण, अधः + पतन = अधःपतन, पयः + पान = पयःपान । इस नियम के अपवाद हैं - पुरः + कार = पुरस्कार, नमः + कार = नमस्कार, भाः + कर = भास्कर ।

5) यदि विसर्ग के बाद च् / छ् हो तो विसर्ग के बदले 'श्' हो जाता है ; ट् / ठ् हो तो 'ष्' और त् / थ् हो तो 'स्' हो जाता है । यथा - निः + चल = निश्चल, निः + छल= निश्छल, धनुः + टंकार = धनुष्टंकार, दुः + तर = दुस्तर ।

6) यदि इ / उ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद 'र्' आए तो दोनों स्वर क्रमशः दीर्घ हो जाते हैं । यथा - निः + रस = नीरस, निः + रोग = नीरोग, पुनः + रचना = पुनारचना (हिन्दी में पुनर्रचना)

7) यदि विसर्ग के बाद श् / ष् / स् आए तो विकल्प से बना रहता है अथवा उसके स्थान पर क्रमशः श् / ज् / स् हो जाते हैं। यथा -

दुः + शासन = दुःशासन / दुश्शासन

चतुः + षष्टि = चतुःषष्टि / चतुष्षष्टि

निः + सन्देह = निः सन्देह / निस्सन्देह

अन्तः + सलिला = अन्तःसलिला / अन्तस्सलिला

8) यदि 'अ' के आगे विसर्ग हो और उसके आगे 'अ' को छोड़कर कोई और स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है । यथा - अतः + एव = अत एव ।

इनके अतिरिक्त भी विसर्ग संधि के उदाहरण मिलते हैं जिनका प्रयोग संस्कृत में विशेष रूप से पाया जाता है । यथा - प्रथमः + अध्याय = प्रथमोऽध्याय, मनः + अनुसार = मनोऽनुसार ।

2.2.2 समास : परिभाषा एवं अर्थ

पं. कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 'दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बतानेवाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर, उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, दों या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है, वह समास कहलाता है । उदाः प्रेमसागर अर्थात् - प्रेम का समुद्र । इस उदाहरण में प्रेम और सागर - इन दो शब्दों का परस्पर संबंध बतानेवाले संबंध कारक के 'का' प्रत्यय का लोप होने से 'प्रेमसागर' एक स्वतंत्र शब्द बना है। इसलिए 'प्रेमसागर' सामासिक शब्द है और इस शब्द में प्रेम और सागर - इन दो शब्दों का संयोग है ; इसलिए इस संयोग को समास कहते हैं । समास के और उदाहरण हैं - रसोईघर, राजकुमार, कालीमिर्च, मिठबोला। '

डा. कैलाशचन्द्र भाटिया के अनुसार - ' जब दो या दो से अधिक पद आपस में जुड़ जाएँ तो समास हो जाता है । वैसे ' समास ' का अर्थ है - संक्षेप । कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही ' समास ' का प्रयोजन है।' पं. किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है कि अनेक शब्द मिलकर एक पद बन जाते हैं, तो वह समास कहलाता है। '

समास की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं -

i) इसमें कम से कम दो पदों का मेल होता है ।

ii) दो पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है ।

iii) दो पदों में से कभी पहला और कभी दूसरा अथवा कभी दोनों पद प्रधान हो सकते हैं ।

iv) संस्कृत में समास होने पर संधि भी हो सकती है । किन्तु हिन्दी में यह आवश्यक नहीं है ।

2.2.2.1 संधि और समास में अंतर

i) संधि में दो वर्णों का योग होता है। अर्थात् संधि में एक शब्द का अन्तिम वर्ण दूसरे शब्द के पहले वर्ण से मिलकर नया रूप ले लेता है । किन्तु समास में दो शब्दों / पदों का योग होता है ।

ii) समास में दो शब्दों/पदों के बीच आनेवाली कारक - विभक्तियों/प्रत्ययों का लोप होता है जबकि संधि में नहीं होता।

iii) संधि को तोड़ना ' विच्छेद ' कहलाता है, किन्तु समास को तोड़ना ' विग्रह'।

iv) संधि वर्ण - कार्य है, किन्तु समास पद - कार्य।

v) समास और संधि का एक - साथ होना कभी - कभी देखा जाता है। यथा - पत्रोत्तर। ' पत्र + उत्तर ' इस प्रकार संधि का विच्छेद होता है। किन्तु समास का विग्रह होता है - ' पत्र का उत्तर '।

2.2.2.2 समास के भेद

डा. हरदेव बाहरी का कहना है कि दो संबद्ध शब्दों को पासापास लाकर मिलाने का नाम समास है। ' दहीबड़ा ' वास्तव में है 'दही में पड़ा हुआ बड़ा। 'यहाँ ' में पड़ा हुआ ' का लोप कर दिया गया है। इसी तरह घन की तरह श्याम

- घनस्याम (' की तरह ' का लोप)

माँ और बाप = माँ - बाप (' और ' का लोप)

सेना का नायक = सेनानायक (' का ' का लोप)

देश के प्रति भक्ति = देशभक्ति (' के प्रति ' का लोप)

जिन दो शब्दों में समास होता है, उनकी प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर समास के भेद किये जाते हैं । जिस समास में पहला शब्द प्रायः प्रधान होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है, उसे तत्पुरुष कहते हैं । जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं, वह द्वंद्व कहलाता है और जिसमें कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता उसे बहुव्रीहि कहते हैं। इस प्रकार प्रधानता के आधार पर समास के तीन भेद हो गए और अप्रधानता के आधार पर समास का एक भेद हुआ । समास के मुख्य चार भेद हुए । द्विगु और कर्मधारय तत्पुरुष के ही उपभेद हैं । यदि उन्हें भी समास के भेदों में रखा जाए तो समास के परम्परागत भेद छः हो जाते हैं ।

2.2.2.3 अव्ययीभाव समास

भाषा भास्कर के अनुसार 'अव्ययीभाव समास वह है जिसमें अव्यय के साथ दूसरे शब्द का योग हो ; यह क्रियाविशेषण होता है' । पं. कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में ' जिस समास में पहला शब्द प्रधान होता है और जो समूचा शब्द क्रियाविशेषण अव्यय होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। '

' यथा, आ, प्रति, यावत्, वि' जैसे शब्दों से युक्त संस्कृत अव्ययीभाव समास हिन्दी में प्रयुक्त होता है । जैसे - यथाविधि (विधि के अनुसार)

यथा समय (समय के अनुसार)

यथाक्रम (क्रम के अनुसार)

आजन्म (जन्म तक)

आमरण (मरण तक)

यावज्जीवन (जब तक जीवन है)

प्रतिदिन (प्रत्येक दिन)

उर्दू शब्दों से निर्मित अव्ययीभाव समास के उदाहरण भी हिन्दी में मिलते हैं । यथा - हर घड़ी, हर रोज़, हर साल, बेखटके, बेशक, नाहक इत्यादि ।

हिन्दी के अव्ययीभाव समास में पहला पद संज्ञा या विशेषण हो सकता है पर समूचा पद क्रियाविशेषण के समान प्रयुक्त होता है । यथा -

दिनोंदिन (= दिन के बाद दिन, हर दिन)

हाथोंहाथ (= एक हाथ के बाद दूसरा हाथ, शीघ्रता)

बीचोंबीच (= ठीक बीच में)

रातोंरात (= रात में ही)

पं. कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिन्दी में अव्ययीभाव समास के तीन प्रकार हैं-

i) निडर, निधड़क, भरपेट, अनजाने (हिन्दी)

ii) हर रोज़, हर साल, बेफायदा, बखूबी (अरबी-फ़ारसी)

iii) हर घड़ी, हर दिन, बेकाम, बेखटके (भिन्न-भिन्न भाषाओं के मेल से बने सामासिक शब्द)

संज्ञाओं की द्विरुक्ति से अव्ययीभाव समास होता है । यथा - पल-पल, घर-घर, घड़ी-घड़ी।

संज्ञाओं के समान अव्ययों की द्विरुक्ति से भी अव्ययीभाव समास होता है । जैसे - साथ-साथ, धीरे-धीरे।

कुछ समासों में निरन्तरता / गहराई लाने के लिए मध्य में स्वर भी डाल दिया जाता है। यथा - धड़ाधड़, चटाचट, पहले-पहल, खटाखट।

द्विरुक्तिवाले शब्दों के बीच में 'ही' 'आ' - ये आगम आते हैं। यथा - मन ही मन, आप ही आप, सरासर, एकाएक।

2.2.2.4 तत्पुरुष समास

जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष कहते हैं । इस समास से पूर्वपद बहुधा संज्ञा अथवा विशेषण होता है और इसके विग्रह को छोड़कर शेष कारकों की विभक्तियाँ लगती हैं। 'समास की प्रक्रिया भाषा के विकास के क्रम की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। 'यही वाक्य सामासिक शब्दों में इस प्रकार रखा जा सकता है - 'समास-प्रक्रिया भाषा-विकास-क्रम की एक महत्व-पूर्ण प्रक्रिया है ।' हिन्दी में अधिकतर प्रयोग तत्पुरुष समास का होता है । इसमें पूर्वपद के बाद आये संबंधवाचक परसर्ग / विभक्तियों का लोप हो जाता है। यथा -

समस्त पद (सामासिक शब्द)	विग्रह
सेनापति	सेना का पति
राजदरबार	राजा का दरबार
पुत्रवधू	पुत्र की वधू
घुड़दौड़	घोड़े की दौड़
राहखर्च	राह के लिए खर्च
गुणहीन	गुण से हीन
गृहप्रवेश	गृह में प्रवेश

तत्पुरुष के मुख्य भेद दो हैं - व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष।

2.2.2.4.1 व्यधिकरण तत्पुरुष

व्यधिकरण तत्पुरुष में पूर्वपद और उत्तरपद अलग अलग विभक्तियों में रहते हैं। तत्पुरुष के नाम से जिस समास का वर्णन होता है, वह यही व्यधिकरण तत्पुरुष है। पूर्वपद में लगी विभक्तियों / परसर्गों के अनुसार व्यधिकरण तत्पुरुष के निम्नांकित भेद हो जाते हैं -

i) द्वितीया तत्पुरुष (कर्म तत्पुरुष)

विग्रह	लुप्तविभक्ति / परसर्ग	समस्तपद (सामासिक शब्द)
गृह को आगत	को	गृहागत
मोक्ष को प्राप्त	को	मोक्षप्राप्त
गिरह को काटनेवाला	को	गिरहकट

ii) तृतीया तत्पुरुष (करण तत्पुरुष)

विग्रह	लुप्तविभक्ति / परसर्ग	समस्तपद (सामासिक शब्द)
नीति से चुक्त	से	नीतियुक्त
तुलसी से कृत	से	तुलसीकृत
गुणों से भरा	से	गुणभरा
मद से अंध	से	मदांध
ईश्वर से दत्त	से	ईश्वरदत्त

iii) चतुर्थी तत्पुरुष (सम्प्रदान तत्पुरुष)

विग्रह	लुप्तविभक्ति / परसर्ग	समस्तपद (सामासिक शब्द)
रसोई के लिए घर	के लिए	रसोईघर
पूजा के लिए गृह	के लिए	पूजागृह
रोकड़ के लिए बही	के लिए	रोकड़बही
बलि के लिए पशु	के लिए	बलिपशु

iv) पंचमी तत्पुरुष (अपादान तत्पुरुष)

विग्रह	लुप्तविभक्ति / परसर्ग	समस्त पद (सामासिक शब्द)
ऋण से मुक्त	से	ऋणमुक्त
पद से च्युत	से	पदच्युत
धर्म से भ्रष्ट	से	धर्मभ्रष्ट
देश से निकाला	से	देशनिकाला
काम से चोर	से	कामचोर

v) षष्ठी तत्पुरुष (संबंध तत्पुरुष)

विग्रह	लुप्तविभक्ति / परसर्ग	समस्तपद (सामासिक शब्द)
विद्या का अभ्यास	का	विद्याभ्यास
राजा का पुत्र	का	राजपुत्र
विकास की यात्रा	की	विकास-यात्रा
काली का दास	का	कालिदास
राम का दास	का	रामदास

vi) सप्तमी तत्पुरुष (अधिकरण तत्पुरुष)

विग्रह	लुप्तविभक्ति / परसर्ग	समस्तपद (सामासिक शब्द)
आप पर बीती (अपने पर बीती)	पर	आपबीती
जल में मग्न	में	जलमग्न
नीति में निपुण	में	नीतिनिपुण
ग्राम में वास	में	ग्रामवास
दान में वीर	में	दानवीर
कला में प्रवीण	में	कलाप्रवीण

पूर्वोक्त समासों के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं -

i) द्वितीयातत्पुरुष - जलपिपासु, देशगत, स्वर्गप्राप्त (संस्कृत)

ii) तृतीयातत्पुरुष - कष्टसाध्य, अकालपीडित (संस्कृत)

मनमाना, दईमारा, मुँहमाँगा, मदमाता (हिन्दी)

iii) चतुर्थी तत्पुरुष - कृष्णार्पण, देशभक्ति, विद्यागृह (संस्कृत)

घुड़बच, ठकुरसुहाती (हिन्दी)

iv) पंचमी तत्पुरुष - धर्मविमुख, भवतारण (संस्कृत)

गुरुभाई, नामसाख (हिन्दी)

v) षष्ठी तत्पुरुष - देवालय, हिमालय, नरेश, लक्ष्मीपति (संस्कृत)

बनमानुष, बैलगाड़ी, राजपूत, करोड़पति, पनचक्की, रामकहानी, मृगछौना, रेतघड़ी (हिन्दी)

vi) सप्तमी तत्पुरुष - निशाचर, कविश्रेष्ठ, वचनचातुरी, कूपमण्डूक (संस्कृत)

मनमौजी, कानाफूसी (हिन्दी)

तत्पुरुष के अन्य भेद 4 हैं - अलुक् समास, उपपदसमास, प्रादिसमास और नभ् तत्पुरुष।

i) अलुक् समास

जिस समास में पूर्वपद की विभक्ति का लोप नहीं होता, उसे अलुक् समास कहते हैं । यथा - मनसिज, युधिष्ठिर, खेचर, आत्मनेपद, चूहेमार ।

ii) उपपद समास

जिस तत्पुरुष का उत्तरपद कृदन्त होता है और जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, उसे उपपदसमास कहते हैं । जैसे - नाटककार, ग्रंथकार, तटस्थ, उरग, कृतघ्न, नृप, लकड़फोड़, तिलचट्टा, कनकटा, पनडुब्बी, चिड़ीमार - इत्यादि।

iii) प्रादिसमास

जिस तत्पुरुष का पूर्वपद उपसर्ग होता है, उसे प्रादि समास कहते हैं । यथा - प्रतिध्वनि, प्रतिबिंब, अतिवृष्टि, उपदेव, प्रगति, दुर्गुण, दुर्गति - इत्यादि ।

iv) नञ् तत्पुरुष

भिन्नता, अयोग्यता, विरोध, अभाव, निषेध - आदि अर्थों में शब्दों के पूर्व 'अ/अन् लगाने के नञ् तत्पुरुष होता है। जैसे - अधर्म, अन्याय, अयोग्य, अनाचार, अनिष्ट, अज्ञान, अकाल, अनीति, अभाव, अकाज, अनचाहा, अटूट, अनहोनी, अलग- इत्यादि ।

उर्दू में शब्दों के पूर्व ' ना / गैर ' जोड़ने से नञ् तत्पुरुष होता है । जैसे - नापसंद, नालायक, गैरहाज़िर।

2.2.2.4.2 समानाधिकरण तत्पुरुष (कर्मधारय समास)

जिस तत्पुरुष समास के विग्रह के दोनों पदों में एक ही विभक्ति आती है, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष अथवा कर्मधारय समास कहते हैं । जैसे -

विग्रह	समस्तपद (सामासिक शब्द)
पीत अम्बर	पीताम्बर
घन जैसा श्याम	घनश्याम
नीला कमल	नीलकमल
छोटा भैया	छुटभैया

कर्मधारय समास के दो प्रकार हैं - विशेषतावाचक और उपमावाचक ।

2.2.2.4.2.1 विशेषतावाचक कर्मधारय समास

जिस समास से विशेष्य-विशेषण - भाव सूचित होता है, उसे विशेषतावाचक कर्मधारय कहते हैं । इसके सात भेद हैं । यथा -

1) विशेषणपूर्वपद

इसमें समास के विग्रह का प्रथम पद विशेषण होता है । जैसे - शुभागमन, पूर्णेन्दु, सद्गुण, नीलगाय, मझधार, कालीमिर्च, खड़ी बोली, पुच्छलतारा, खुशबू, बदबू ।

2) विशेषणोत्तर पद

इसमें समास के विग्रह का दूसरा पद विशेषण होता है । जैसे पुरुषोत्तम, नराधम, मुनिवर, प्रभुदयाल ।

3) विशेषणोभय पद

इसमें समास के विग्रह के दोनों पद विशेषण होते हैं । जैसे - शीतोष्ण, शुभाशुभ, शुद्धाशुद्ध, भला - बुरा, बड़ा - छोटा, नेक - बद, मोटा - ताजा ।

4) विशेष्यपूर्वपद

इसमें पूर्वपद विशेष्य / विषय होता है । उदाहरण - धर्मबुद्धि (धर्म है, यह बुद्धि, धर्मविषयक बुद्धि) विंध्यपर्वत (विंध्य नामक पर्वत)

5) अव्ययपूर्वपद

इसमें पूर्वपद अव्यय होता है। जैसे - दुर्वचन, निराशा, सुयोग, कुवेश, दुकाल।

6) संख्यापूर्वपद अथवा द्विगु

इसमें पूर्वपद संख्यावाचक होता है । जैसे - त्रिभुवन, त्रैलोक्य, त्रिलोकी, चतुष्पदी, पंचवटी - इत्यादि । इनका विग्रह भी द्रष्टव्य है - तीन भुवनों का समाहार (त्रिभुवन), चार पदों का समुदाय (चतुष्पदी), पाँच वटवृक्षों का समाहार (पंचवटी)। हिन्दी के उदाहरण : दोपहर, चौमासा, सतसई, चौराहा, अठवाड़ा,, दुपट्टा, दुअन्नी, चौघड़ा - इत्यादि ।

इस समास को संख्यापूर्व कर्मधारय अथवा द्विगु कहते हैं ।

7) मध्यमपदलोपी अथवा लुप्तपद समास

इस समास में पहले पद का संबंध दूसरे पद से बतलानेवाला शब्द अध्याहृत रहता है। विग्रह में अध्याहृत पद बीच में आता है। इसलिए इसे मध्यमपदलोपी समास कहते हैं।

विग्रह	अध्याहृत (मध्यम) पद	समस्त पद
घृत मिश्रित अन्न	मिश्रित	घृतान्न
पर्ण निर्मित शाला	निर्मित	पर्णशाला
दही में डूबा हुआ बड़ा	में डूबा हुआ	दहीबड़ा
गुड़ में उबाला आम	में उबाला	गुड़ंबा

इसके अन्य उदाहरण हैं - गुड़धानी, तिलचावला, गोबरगनेस, जेबघड़ी, चितकबरा, पनकपड़ा, गीदड़भबकी - इत्यादि ।

2.2.2.4.2.2 उपमावाचक कर्मधारय समास

इस समास के निम्नांकित चार भेद हैं :-

i) उपमानपूर्वपद

इसमें पूर्वपद उपमानवाचक होता है । जैसे :

चंद्रमुख (चंद्र सरीखा मुख)

वज्रकाया (वज्र के समान काया)

घनश्याम (घन सरीखा श्याम)

कमलनेत्र (कमल सदृश नेत्र)

ii) उपमानोत्तरपद

इसमें उत्तरपद उपमानवाचक होता है । जैसे :

चरणकमल (चरण कमल सदृश)

राजर्षि (राजा ऋषि जैसा)

पाणिपल्लव (पाणि पल्लव सदृश)

iii) अवधारणपूर्वपद

इस समास में उत्तरपद का अर्थ पूर्वपद के अर्थ पर अवलंबित होता है । जैसे :

गुरुदेव (गुरु ही देव, अथवा गुरु रूपी देव)

कर्मबन्धु (कर्म रूपी बन्धु)

पुरुषरत्न (पुरुष रूपी रत्न)

धर्मसेतु (धर्मरूपी सेतु)

iv) अवधारणोत्तरपद

इस समास में पूर्वपद का अर्थ उत्तरपद के अर्थ पर अवलंबित रहता है । जैसे :

साधुसमाजप्रयाग (साधुसमाज रूपी प्रयाग)

2.2.2.5 द्वंद्व समास

जिस समास में दोनों पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके तीन भेद हैं - इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व।

i) इतरेतर द्वंद्व

इस समास के विग्रह में पूर्वपद और उत्तरपद आपस में 'और, एवं, तथा' से जुड़े रहते हैं। समासावस्था में उक्त समुच्चयबोधकों का लोप होता है । जैसे :

विग्रह	समस्तपद अथवा सामासिक शब्द
राधा और कृष्ण	राधाकृष्ण
माँ और बाप	माँ-बाप
माता और पिता	माता - पिता
भाई और बहन	भाई - बहन

अन्य उदाहरण हैं - गाय - बैल, नाककान, बेटा - बेटी।

ii) समाहार द्वंद्व

अ) इस समास में दोनों पद 'और' से जुड़े रहते हैं, पर पृथक् अस्तित्व नहीं रखते। समूह का बोध होता है । जैसे : दाल-रोटी, हाथ-पाँव, भूल-चूक।

आ) एक ही अर्थ के पदों के योग से भी यह समास बनता है । जैसे : मार-पीट, लूट-मार, चाल-चलन, भूत-प्रेत, काम-काज, घासफूस, बोलचाल, कंकरपत्थर।

इ) मिलते-जुलते अर्थ के पदों के मेल से भी यह समास बनता है । जैसे : अन्नजल, खाना-पीना, घर-द्वार, मोलतोल, आचार-विचार, गोलाबारुद।

ई) परस्पर विरुद्ध अर्थवाले पदों के मेल से भी यह समास बनता है । जैसे : आगा-पीछा, लेन-देन, कहा-सुनी

(किन्तु दो विशेषणों के योग से बननेवाला समास कर्मधारय कहलाता है । उदाहरण - भूखा-प्यासा, अंधा-बहरा, ऊँचा-नीचा, भरा-पूरा - इत्यादि)

उ) सानुप्रास और पुनरुक्त शब्दों के मेल से भी यह समास बनता है । जैसे : आमने-सामने, आस-पास, अड़ोस-पड़ोस, बातचीत, देखभाल, दौड़धूप, भीड़भाड़, चालढाल, पान-मान, गाँव माँव,

iii) वैकल्पिक द्वंद्व

इस समास में बहुधा परस्परविरोधी शब्दों का मेल होता है। विग्रह में दोनों पद 'वा', 'या', 'अथवा' आदि समुच्चय - बोधक से जुड़े रहते हैं और समासावस्था में उस समुच्चयबोधक का लोप हो जाता है । जैसे : पाप-पुण्य (पाप या पुण्य), धर्माधर्म, ऊँच-नीच।

2.2.2.6 बहुव्रीहि समास

जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, पर अन्य अर्थ प्रधान होता है, उसे बहुव्रिहि कहते हैं।

उदाहरण : ' मन्दमति ' (मन्द है मति जिसकी वह मनुष्य) , ' पीतांबर (पीत = पीला है अंबर = कपड़ा जिसका वह) ।

' धीमी बुद्धि ' और ' पीला कपड़ा ' - इन अर्थों में पूर्वोक्त दोनों उदाहरण कर्मधारय के अन्तर्गत आते हैं। किंतु इनसे ' मन्द बुद्धिवाला ' और ' विष्णु ' - ऐसा अर्थ लिया जाय तो अन्यार्थ के प्राधान्य से वे बहुव्रीहि के अन्तर्गत आते

हैं । इस समास के विग्रह में संबंधवाचक सर्वनाम के साथ कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर लगनेवाली शेष विभक्तियों के अनुसार निम्नांकित भेद होते हैं :

1) कर्मबहुव्रीहि

हिन्दी में इसका अभाव है। किंतु इसके संस्कृत उदाहरण हैं - प्राप्तोदक (प्राप्त हुआ है उदक जिसको वह ग्राम), आरुढवानर (आरूढ़ है वानर जिस पर वह वृक्ष)।

2) करण बहुव्रीहि

कृतकार्य (किया गया है कार्य जिसके द्वारा)

दत्तचित्त (दिया गया है चित्त जिससे वह)

धृतचाप (धारण किया गया है चाप जिससे वह)

3) सम्प्रदानबहुव्रीहि

इसके उदाहरण संस्कृत में ही मिलते हैं । यथा - दत्तधन (दिया गया है धन जिसको वह), उपहृतपशु (भेंट में दिया गया है पशु जिसको वह)

4) अपादनबहुव्रीहि

उदाहरण : निर्जन (निकल गया है जनसमूह जिसमें से वह), निर्विकार, निर्बल - इत्यादि।

5) संबंधबहुव्रीहि

उदाहरण : दशानन (दस हैं आनन जिसके वह)

सहस्त्रबाहु (सहस्त्र हैं बाहु जिसके वह)

पीतांबर (पीत है अंबर जिसका वह, विष्णु)

इसके अन्य उदाहरण हैं - चतुर्भुज, नीलकंठ, चक्रपाणि, शूलपाणि, तपोधन, चन्द्रमौलि, पतिव्रता, कनफटा (कान हों फटे जिसके वह) , दुधमुँहा, मिठबोला, बारहसिंगा, हँसमुख, सिरकटा, टुटपुँजिया, बड़भागी, घुड़मुँहा (घोड़े जैसा अथवा घोड़े के मुँह जैसा मुँह है जिसका वह) ।

6) अधिकरणबहुव्रीहि

उदाहरण : प्रफुल्लकमल (प्रफुल्ल (खिले) हैं कमल जिसमें वह तालाब) , इन्द्रादि (इन्द है आदि में जिनके वे देवता) , त्रिकोन, सतखंडा, पतझड़, औलड़ी - इत्यादि।

अर्थ के अनुसार बहुव्रीहि के निम्नांकित भेद और उनके उदाहरण द्रष्टव्य हैं :

1) विशेषणपूर्वपद

उदाहरण : पीतांबर, लंबकर्ण, मंदमति, दीर्घबाहु, बड़पेटा, लालकुर्ती, लमटंगा, मिठबोला, साफ़दिल, बदरंग - इत्यादि ।

2) विशेषणोत्तरपद

उदाहरण : शाकप्रिय (शाक है प्रिय जिसको), नाट्यप्रिय, कनफटा, सिरकटा, मनचला - इत्यादि।

3) उपमानपूर्वपद

उदाहरण : राजीवलोचन, कमलनयन (कमलों के जैसे नयन हैं जिसके वह), चंद्रमुखी, पाषाणहृदय।

4) विषयपूर्वपद

उदाहरण : शिवशब्द (शिव है शब्द जिसका वह तपस्वी)

अहमभिमान (अहम् अर्थात् मैं, यह अभिमान है जिसको वह)।

5) अवधारणपूर्वपद

उदाहरण : यशोधन (यश ही धन है जिसका वह), तपोबल, विद्याधन।

6) मध्यमपदलोपी

उदाहरण : कोकिलकंठी (कोकिल के कंठ के समान कंठ है जिसका वह स्त्री), गजानन, मृगनयनी, घुड़मुँहा, भौंरकली (गहना), बालतोड़ (फोड़ा), हाथीपाँव (बीमारी)।

7) नञ् बहुव्रीहि

उदाहरण : असार (सार नहीं है जिसमें वह), अनाथ, अकर्मक।

8) संख्यापूर्वपद

उदाहरण : दशमुख (दश / दस हैं मुख जिसके वह, रावण), पंचानन, त्रिभुज, चतुर्भुज, चतुर्मुख, षडानन, पंजाब, दुमाला, सतलड़ी, तिमंजिला।

9) संख्योत्तरपद

उदाहरण : उपदश (दश के पास है जो अर्थात् नौ वा ग्यारह)।

10) सह बहुव्रीहि

जिसका पहला पद ' स ' (सह) हो, उसे सह बहुव्रीहि कहते हैं, जैसे : सपुत्र (वह जो पुत्र के साथ हो), सार्थक (वह जो अर्थ के साथ हो), सकर्मक, सफल, सपरिवार, सावधान।

11) दिगंतरालबहुव्रीहि

उदाहरण : पश्चिमोत्तर (= वायव्य), दक्षिणपूर्व (= आग्नेय)।

12) व्यतिहार बहुव्रीहि

जिस बहुव्रीहि समास में घात - प्रतिघात सचेत हो, उसे व्यतिहार बहुव्रीहि कहते हैं, जैसे : घूँसाघूँसी (घूँसे का प्रहार जिस युद्ध में हो वह) , मुण्टामुष्टि (एक दूसरे को मुष्टि अर्थात् मुक्का मारकर किया हुआ युद्ध), हस्ताहस्ति, दण्डादण्डि, लठालठी, मारामारी, बदाबदी, कहाकही, धक्काधक्की।

13) प्रादि अथवा अव्ययपूर्व बहुव्रीहि

उदाहरण : निर्दय (निर्गत = निकल गई दया जिससे वह), निर्धन, विधवा।

विभक्ति के आधार पर बहुव्रीहि के दो भेद हो जाते हैं - समानाधिकरण बहुव्रीहि और व्यधिकरण बहुव्रीहि।

1) समानाधिकरण बहुव्रीहि

इस समास के विग्रह में दोनों पद एक ही विभक्ति में रहते हैं, जैसे :- पीतांबर (पीत है अंबर जिसका वह)। 'पीत' और 'अंबर' - दोनों पदों के साथ प्रथमा विभक्ति आई है। अन्य उदाहरण :- कृतकृत्य, दशानन, नीलकंठ, सिरकटा।

2) समानाधिकरण बहुव्रीहि

इस समास के विग्रह में दोनों पदों के साथ भिन्न भिन्न विभक्तियाँ आती हैं, जैसे: चक्रपाणि (चक्र है पाणि में जिसके वह) । पूर्वपद ' चक्र ' प्रथमा विभक्ति में है तो उत्तरपद ' पाणि ' सप्तमी विभक्ति में है। अन्य उदाहरण : इन्द्रादि, अकारादि, दण्डपाणि, चन्द्रमौलि।

समास के कुछ सामान्य नियम

1) समास में दोनों शब्द/पद एक ही भाषा के होते हैं, पर अब संकर समास भी बनने लगे हैं, जैसे : रेलगाड़ी, धनदौलत, हरदिन ।

2) अर्थ-भेद से समास का विग्रह भिन्न हो जाता है, जैसे :

समस्तपद	विग्रह	समास का नाम
सत्यव्रत	सत्य और व्रत	द्वंद्व
सत्यव्रत	सत्य ही व्रत	कर्मधारय
सत्यव्रत	सत्य का व्रत	षष्ठी तत्पुरुष
सत्यव्रत	सत्य है व्रत जिसका वह	बहुव्रीहि
पीतांबर	पीत (पीला) अंबर	कर्मधारय
पीतांबर	पीत है अंबर जिसका वह	बहुव्रीहि

3) हिन्दी में समासावस्था में दीर्घ स्वर को ह्रस्व कर देने की प्रवृत्ति भी है । यथा - दुध (दूध) मुँहा, न (नाक) कटा, स (सात) नजा, अध (आधा) पका, घुड़ (घोड़ा) दौड़, घुड़ (घोड़ा) सवारी।

2.3 सारांश

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आपने जाना कि -

दो स्वरों के पास आने से स्वरसंधि होती है ।

स्वर-संधि के पाँच भेद हैं - दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण् संधि और अयादि संधि।

व्यंजन और स्वर अथवा दो भिन्न व्यंजनों के मेल से व्यंजन-संधि होती है। व्यंजन अथवा स्वर के साथ विसर्ग का जो विकार होता है, उसे विसर्ग - संधि कहते हैं।

जब अनेक पदों के मेल से एक समस्तपद बन जाता है, तो वह समास कहलाता है।

समास के परंपरागत भेद छः हैं - अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि।

2.4 बोध - प्रश्न

1) दीर्घ-संधि कब होती है?

2) व्यंजन-संधि किसे कहते हैं ?

3) समास की विशेषताएँ क्या हैं ?

4) समानाधिकरण बहुव्रीहि और व्यधिकरण बहुव्रीहि में क्या अंतर है ?

2.5 बोध - प्रश्नों के उत्तर - संकेत

1) देखिए उपपाठ 2.2.1.1.1

2) देखिए उपपाठ 2.2.1.2

3) देखिए उपपाठ 2.2.2

4) देखिए उपपाठ 2.2.2.6

2.6 परीक्षार्थ प्रश्नों के नमूने

1) संधि की परिभाषा देते हुए, उसके भेदों को सोदाहरण समझाइए ।

2) संधि और समास में क्या अंतर है ? स्पष्ट कीजिए ।

3) समास की परिभाषा देते हुए, उसके प्रकारों का सोदाहरण विवेचन कीजिए।

4) टिप्पणी लिखिए : व्यंजन-संधि, विसर्ग संधि, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय समास ।

2.7 उत्तर - संकेत

1) देखिए उपपाठ 2.2.1, 2.2.1.1, 2.2.1.1.1 से 2.2.1.1.5 तक ।

2) देखिए उपपाठ 2.2.2.1

3) देखिए उपपाठ 2.2.2, 2.2.2.2 से 2.2.2.6 तक ।

4) देखिए उपपाठ 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.2.3, 2.2.2.4, 2.2.2.6, 2.2.2.4.2

2.8 अध्ययन - सामग्री

अ) हिन्दी व्याकरण - पं. कामता प्रसाद गुरु

आ) व्यावहारिक हिन्दी - डा. कैलाश चंद्र भाटिया

इ) मानक हिन्दी व्याकरण और रचना - डा. हरिवंश तरुण

BLOCK - 5

Unit - 3

शब्द-भेद

03.0 उद्देश्य

03.1 प्रस्तावना

03.2 मूलपाठ - शब्द-भेद

03.2.1 पाठ-प्रवेश

03.2.1.1 शब्द-भेद के आधार

03.2.1.1.1. व्युत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्द-भेद

03.2.1.1.1.1 तत्सम शब्द

03.2.1.1.1.2 तद्भव शब्द

03.2.1.1.1.3 देशज शब्द

03.2.1.1.1.4 विदेशी शब्द

03.2.1.1.2 अर्थ के आधार पर शब्द-भेद

03.2.1.1.2.1 एकार्थी शब्द

03.2.1.1.2.2 अनेकार्थी शब्द

03.2.1.1.2.3 समानार्थी या पर्यायवाची शब्द

03.2.1.1.2.4 विलोमार्थी या विपरीतार्थक शब्द

03.2.1.1.2.5 समूहवाची शब्द

03.2.1.1.2.6 ध्वनिबोधक शब्द

03.2.1.1.2.7 युग्म शब्द

3. 2. 1. 1. 3 रचना या बनावट के आधार पर शब्द - भेद

3. 2. 1. 1. 3. 1 रूढ़ शब्द

3. 2. 1. 1. 3. 2 यौगिक शब्द

3. 2. 1. 1. 3. 3 योगरूढ़ शब्द

3. 2. 1. 1. 4 विकार या रूपांतर के आधार पर शब्द - भेद

3. 2. 1. 1. 4. 1 विकारी शब्द

3. 2. 1. 1. 4. 2 अविकारी शब्द

3. 2. 1. 1. 5 प्रयोगाधारित शब्द - भेद

3. 2. 1. 1. 5. 1 संज्ञा

3. 2. 1. 1. 5. 2 सर्वनाम

3. 2. 1. 1. 5. 3 विशेषण

3. 2. 1. 1. 5. 4 क्रिया

3. 2. 1. 1. 5. 5 क्रियाविशेषण

3. 2. 1. 1. 5. 6 संबंधबोधक

3. 2. 1. 1. 5. 7 समुच्चयबोधक

3. 2. 1. 1. 5. 8 विस्मयादिबोधक

3. 3 सारांश

3. 4 बोध - प्रश्न

3. 5 बोध-प्रश्नों के उत्तर - संकेत

3. 6 परिक्षार्थ प्रश्नों के नमूने

3. 7 उत्तर - संकेत

3. 8 अध्ययन - सामग्री

3.0 उद्देश्य

इस इकाई का उद्देश्य है :-

शब्द - भेद के विभिन्न आधारों का विवेचन करना ।

विभिन्न शब्द - भेदों का सही प्रयोग करने में सक्षम होना।

3.1 प्रस्तावना

अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि - समूह को 'शब्द' की संज्ञा दी जाती है ।

यथा : - आम, गाय, राधा, करीम, पहाड़ ।

अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं - सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द ।

(i) सार्थक शब्द : निश्चित अर्थवाले शब्द अथवा अर्थयुक्त शब्द ' सार्थक ' हैं।

यथा : मैं, भी, ही, था, पेड़, दूध।

(ii) निरर्थक शब्द : जिनका कोई सम्मत अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं।

यथा : टें - टें, पें, चें-चें - इत्यादि।

मनुष्य के वाग्यंत्र से निकलने पर भी निरर्थक शब्द व्याकरण के अन्तर्गत नहीं आते। व्याकरण में सार्थक शब्दों का वर्गीकरण एवं विवेचन होता है। व्याकरण का मूलाधार लोकसम्मत शब्दप्रयोग है। अतः वैयाकरण ' प्रयोग शरण ' कहलाते हैं।

" शब्द " हमारे चिन्तन के " भाव " रूप स्वतंत्र चरमावयव का निर्देशक होता है। शब्द - समुच्चय रूप " वाक्य " हमारे भावों के समुच्चय का निर्देश करता है । शब्द-ज्ञान से ही वाक्यार्थ उपलब्ध होता है। अतः भाषा में प्रयुक्त होने शब्दों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर प्रस्तुत करना ही इस इकाई का लक्ष्य बनता है।

3.2 मूलपाठः शब्द - भेद

कामता प्रसाद गुरु ने प्रयोग, रूपान्तर और व्युत्पत्ति को शब्दों के वर्गीकरण का आधार माना है। अंग्रेजी व्याकरण का अनुसरण करने हुए आठ शब्दभेदों को मानते की परंपरा हिन्दी में भी पाई जाती है । हिन्दी के व्याकरणों ने इसी परंपरा का पालन करते हुए हिन्दी व्याकरण को विकसित किया है । वाक्य में प्रयोग का आधार ही शब्दों के वर्गीकरण का प्रमुख आधार माना जाता है।

3.2.1 पाठ - प्रवेश

शब्द वह ध्वनि है जिससे लोक में पदार्थ की प्रतीति होती है । अथवा शब्द वह ध्वनि । ध्वनि-समूह है जिससे अर्थबोध होता है । यथा :

शब्द	ध्वनि - संख्या
आ	एक
अब	दो
काल	तीन

अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई शब्द है । शब्द प्रयोग व अर्थ - दोनों दृष्टियों से अध्ययन का विषय बनता है।

3.2.1.1 शब्द - भेद के आधार

शब्द की अनेकों परिभाषाएँ उपलब्ध होती हैं । यथा :-

(i) पं कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में - " एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, जैसे :- लड़का, जा, छोटा, में, धीरे, परंतु - इत्यादि। "

(ii) डा हरदेव बाहरी के अनुसार - " एक या एक से अधिक वर्गों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं । जैसे - न, दो, राम, क्रम, गुरु, घर, खेल, स्कूल, ट्रेन, बीमार, साहित्यिक। "

(iii) व्याकरण - दर्शन में 'शब्द' वह ध्वनि है जिसके उच्चारण से किसी विशेष अर्थ का ज्ञान होता है।

शब्द - भेद

पं कामता प्रसाद गुरु ने प्रयोग के अनुसार शब्दों की भिन्न - भिन्न जातियों को 'शब्द - भेद' माना है। शब्दों की भिन्न - भिन्न जातियाँ बताना उनका वर्गीकरण कहलाता है। शब्द - भेद को अंग्रेजी में "Parts of Speech" कहते हैं । दृष्टि-भेद से शब्द - भेद (या शब्दों के वर्गीकरण) के आधार भिन्न - भिन्न हो जाते हैं जो निम्नांकित हैं :-

शब्द - भेद के आधार

1. व्युत्पत्ति या इतिहास
2. अर्थ
3. रचना या बनावट
4. विकार या रूपांतर
5. वाक्य में प्रयोग

3. 2. 1. 1. 1 व्युत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्द-भेद

" व्युत्पत्ति " का अर्थ है विशिष्ट उत्पत्ति। प्रत्येक शब्द का अपना इतिहास होता है। शब्द की व्युत्पत्ति ढूँढने से शब्द के इतिहास का निर्माण होता है । व्युत्पत्ति या इतिहास को आधार मानकर हिन्दी के शब्द - भण्डार को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है।

हिन्दी का शब्द - भण्डार

1. तत्सम शब्द - समूह, वायु, मस्तक-इत्यादि।
2. तद्भव शब्द - *सात, दूध, साँप, सच - इत्यादि।*
3. देशज शब्द - टींडा, झींगा, मिर्च, कोड़ी - इत्यादि।
4. विदेशी शब्द- असर, मेहनत, डाक्टर, कोट - इत्यादि।

3. 2. 1. 1. 1. 1 तत्सम शब्द

संस्कृत से ज्यों के त्यों हिन्दी में लिये गए शब्द ' तत्सम ' कहलाते हैं। ' तत्सम ' का अर्थ है ' उसके समान ' । यथा : योग, आधार, भाषा, धर्म, देश, आकाश, तरु, मुनि, प्राण. प्रभाव - इत्यादि। तत्सम शब्द भी दो प्रकार के हैं : परम्परागत और निर्मित। परम्परागत तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत भाषा और वाङ्मय में प्राप्त होते हैं। निर्मित तत्सम शब्द वे हैं जो समय - समय पर माँग के अनुसार गढ़ लिये गए हैं। आधुनिक काल में ज्ञान - विज्ञान का माध्यम होने के कारण और राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने के कारण पर्याप्त मात्रा में तत्सम शब्दों का नव निर्माण हुआ है। यथा :

निर्मित तत्सम शब्द	अंग्रजी के पर्यायवाची शब्द
निरीक्षण	Inspection
अनुवीक्षण	Observation
वेतन मान	Pay scale
अधिसूचना	Notification
राजपत्र	Gazette
प्रारूप	Draft
संलग्नक	Enclosure
पृष्ठांकन	Endorsement
राजदूतावास	Embassy
प्रोन्नति, पदोन्नति	Promotion

अर्धतत्सम शब्द

डा धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार "जो संस्कृत शब्द आधुनिक काल में विकृत हुए हैं वे अर्धतत्सम कहलाते हैं । 'कन्हा' कृष्ण का तद्भव रूप है किन्तु 'किशन' अर्धतत्सम रूप है। पं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 'बच्छ' वत्स का 'अगिन/ अगिनि' अग्नि का और 'कारज' कार्य का अर्धतत्सम है । अर्धतत्सम शब्द प्रायः धार्मिक - सांस्कृतिक क्षेत्र में अधिक पाये जाते हैं। जैसे :- ग्यान, धरम, करम, भगत, किरपा, शब्द, सुरग - इत्यादि ।

3. 2. 1. 1. 1. 2 तद्भव शब्द

'तद्भव' का अर्थ है "उस (संस्कृत) से उत्पन्न या विकसित'। पं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार " तद्भव वे शब्द हैं जो या तो सीधे प्राकृत से हिन्दी भाषा में आ गए हैं या प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकले हैं । " यथा :-

संस्कृत शब्द	तद्भव शब्द
अन्धकार	अंधेरा
लज्जा	लाज
आश्चर्य	अचरज
अश्रु	आँसू
अर्ध	आधा
कुपुत्र	कपूत
भिक्षा	भीख
पत्र	पत्ता
नग्न	नंगा
दुर्बल	दुबला
तीक्ष्ण	तीखा
श्वास	साँस
गृह	घर
कूप	कुआँ
पौत्र	पोता
परीक्षा	परख
काष्ठ	काठ

3. 2. 1. 1. 1. 3 देशज शब्द (या देशी शब्द)

पं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार - " देशज वे शब्द हैं जो किसी (या प्राकृत) मूल से निकले हुए नहीं जान पड़ते, और जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं लगता ; जैसे - तेंदुआ, खिड़की, ठेस - इत्यादी। ' देशी ' का शाब्दिक अर्थ है ' देश का '। ' देशज ' का शाब्दिक अर्थ है ' देश से / में उत्पन्न। चण्ड ने संस्कृत और प्राकृत शब्दों से भिन्न शब्दों को देशी माना है। रुद्रट के अनुसार प्रकृति - प्रत्यय मूलक रचनाविहीन शब्द ही देशी हैं । डा हरदेव बाहरी ने देशी के अन्तर्गत द्रविड़, संथाली, अनुकरणात्मक, मराठी, बंगला, पंजाबी शब्दावली को सम्मिलित किया है। टी बरो के अनुसार - " अगुस, कज्जल, करीर, कलुष, कानन, कुटिल, कुन्तल, कोटर, कोण, चिक्कण, चन्दन, ताल, दण्ड, पल्ली, मयूर, मुकुल, मीन, लंगूल " - आदि शब्द संस्कृत में गृहीत किये गए देशी शब्द हैं। डा हरिवंश तरुण के अनुसार - " खुरपी, हँसुआ, मूँगा, छाती, ईंट, खटिया, चुक्का, कद्दू हिन्दी में गृहीत देशी शब्द हैं।

दूसरे प्रकार के देशी शब्द वे हैं जिन्हें अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक कहा जाता है। यथा : खटखटाना, धडाम, चट, कड़क, फटफटिया, चुटकी, ऊटपटाँग, चहकना - आदि।

3. 2. 1. 1. 1. 4 विदेशी शब्द

विदेशी शब्दों को " आगत शब्द " (Loan words) भी कहते हैं । आगत शब्दावली दो प्रकार की है -

(i) अरबी - फारसी - तुर्की की शब्दावली और

(ii) अंग्रेजी तथा अन्य युरोपीय भाषाओं की शब्दावली।

अरबी - फारसी - तुर्की की शब्दावली

अरबी और तुर्की की शब्दावली फारसी के माध्यम से ही हिन्दी में गृहीत हुई है। यथा -

अरबी : एहसान, इरादा, हकीम, बुनियाद, मज़हब, मुल्ला, ईद, खारिज, इशारा, सलाह, ईमान, तहसील - इत्यादि।

फारसी : आबरू, आराम, आसमान, आवारा, अंगूर, बारिश, मेहनत, दलाल, मज़दूर, बुखार, कुरता, पाजामा, आसान, मुश्किल - इत्यादि ।

तुर्की : सराय, लाश, बगादुर, दारोगा, उर्दू, कैंची, चाकूस तोप - इत्यादि।

अंग्रजी तथा अन्य युरोपीय भाषाओं की शब्दावली

अंग्रेज़ी : कलक्टर, फ़ाइल, जज, वोट, पेपर, पेंसिल, स्कूल, नर्स, वार्ड, प्लेट, कप, लैम्प, माचिस, पुलिस, टोस्ट, प्रेस, मशीन, ब्रेक, मोटर, बस, बम, पेंट - इत्यादि।

पुर्तगाली : अनानस, पपीता, तौलिया, कनस्तर, बाल्टी - इत्यादी।

फ्रेंच : अंग्रेज़, कार्तूस, कूपन, कार्बन, केफ़े, रेस्तरां - इत्यादि।

डच : तुरुप, बम (टाँगे का) ।

रूसी : रूबल, ज़ार, वोड्का, स्पुटनिक, सोवियत ।

अन्य एशियाई भाषाओं से आगत शब्द

चीनी : चाय, लीची।

जापानी : झम्पान, रिक्शा।

तिब्बती : डाँडी।

संकर शब्दावली

आगत शब्दावली के संदर्भ में संकर शब्दों की चर्चा करना संगत प्रतीत होता है। संकर शब्द वे हैं जो किन्हीं दो या दो से अधिक भाषा - परिवारों से संबद्ध शब्दों के योग से बने हों। संकर - शब्दों के चार भेद हैं। यथा -

(I) वे शब्द जिनके अंत में हिन्दी शब्द हो :

(अ) **फ़ारसी - हिन्दी** : खून - पसीना, बेडौल, बेधड़क।

(आ) **अरबी - हिन्दी** : अजायबघर, कलमचोर, मालगाड़ी।

(इ) **अंग्रेजी - हिन्दी** : टिकटघर, डबलरोटी, रेलगाडी, फैशनवाला।

(II) **वे शब्द जिनका अंतिम भाग फ़ारसी हो :**

(उ) **हिन्दी - फ़ारसी** : कटोरदान, पानदान, छायादार, लोकसाही, गुटबाज।

(ऊ) **अरबी - फ़ारसी** : कलमबंद, गोताखोर, तहसीलदार, फ़जूलखर्च।

(ऋ) **अंग्रेजी - फ़ारसी** : जेलखाना, पालिशदार, सीलबंद।

(ए) **तुर्की - फ़ारसी** : तोपखाना।

(III) **वे शब्द जिनका अंतिम भाग अरबी शब्द हो :**

(ऐ) **हिन्दी - अरबी** : धन - दौलत, भेंट - मुलाकात।

(ओ) **फ़ारसी - अरबी** : खुशकिस्मत, नमकहराम।

(औ) **अंग्रेजी - अरबी** : पाकेट - खर्च।

(Iv) **वे शब्द जिनका अंतिन भाग अंग्रेजी शब्द हो :**

(अं) **हिन्दी - अंग्रेजी** : कपडामिल, लाठीचार्ज ।

(अः) **फ़ारसी - अंग्रेजी** : शक्कर - मिल ।

3. 2. 1. 1. 2 अर्थ के आधार पर शब्द-भेद

अर्थ की हष्टि से हिन्दी शब्दों के निम्नवर्ती सात भेद हैं :-

1. **एकार्थी शब्द** : मास्को, गंगा, फरवरी, प्लेग - इत्यादि।
2. **अनेकार्थी शब्द** : गोली, जेठ, अंक, दंड - इत्यादी।
3. **समानार्थी या पर्यायवाची शब्द** : जल, पानी, वारि - इत्यादि।
4. **विलोमार्थी या विपरितार्थक शब्द** : आय x व्यय, पुराना x नया - इत्यादि।
5. **समूहवाची शब्द** : अंगूरों का गुच्छा, मनुष्यों की भीड़ - इत्यादि।
6. **ध्वनिबोधक शब्द** : चहचहाना, गुर्राना, मिमियाना, खटखटना - इत्यादि।
7. **युग्म शब्द (Paronyms)** : अवयव - अव्यय, उन - ऊन, अनल - अनिल - इत्यादि।

3. 2. 1. 1. 2. 1 एकार्थी शब्द

जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, वे एकार्थी कहलाते हैं। जैसे :- मनुष्यों के नाम : चर्चिल, स्टालिन - इत्यादि।

नगरों के नाम : कलकत्ता, दिल्ली, बर्लिन - इत्यादि।

गाँवों, कस्बों, पहाड़ों, नदियों, महीनों और दिनों के नामः

टुंडला, बिंदकी, हिमालय, मिसिसिपि, जनवरी, बुरवार - इत्यादि।

पारिभाषिक शब्दों का अर्थ एक ही होता है।

3. 2. 1. 1. 2. 2 अनेकार्थी शब्द

प्रसंग के अनुसार जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे 'अनेकार्थी' कहलाते हैं। सामान्यतः एक प्रसंग में अनेक अर्थों में से एक अर्थ उपस्थित होता है। उदाहरण - स्वरूप, 'गोली' नानार्थक शब्द है ; किन्तु दर्जी के लिए वह धागे की गोली है, सिपाही के लिए वह बंदूक की गोली है, डाक्टर के लिए वह दवा की गोली है, किसी स्वामिनी के लिए वह छोकरी है। 'जेठ' का अर्थ है 'पति का बड़ा भाई' और 'वैशाख के बाद का महीना'। किन्तु जब कोई स्त्री कहती है कि 'यह मेरे जेठ का छोटा लड़का है' तो दूसरा अर्थ ग्रहण किया नहीं जाता। इसी प्रकार कोई कहता है 'जेठ में लू चलती है' तो पहला अर्थ लागू नहीं होता। प्रकरण / प्रसंग अनेकार्थी शब्दों की अर्थोपस्थिति का हेतु माना जाता है। अनेकार्थी शब्दों की सूची द्रष्टव्य है :-

अंक = नंबर (Marks), नाटक का भाग (act) ।

कल = मशीन, आराम, आज से पिछला दिन, आज से अगला दिन।

पत्र = पत्ता, चिट्ठी।

पद = शब्द, छन्द, पैर।

विधि = कानून, रीति, विधाता।

टीका = तिलक, व्याख्या।

मधु = शहद, शराब, वसन्त ऋतु।

पानी = जल, इज्जत, चमक।

पद = चरण, दर्जी, शब्द, कविता की पंक्ति।

पृष्ठ = पीठ, पन्ना, पीछे का भाग।

नाग = हाथी, [illegible]।

हरि = विष्णु, [illegible], सूर्य [illegible] [illegible]ड़ा, हाथी, चन्द्रमा।

3. 2. 1. 1. 2. 3 समानार्थी या पर्यायवाची शब्दः

जो शब्द सामान्यतः किसी एक ही चीज़ / भाव का बोध कराते हैं, वे समानार्थी या पर्योयवाची कहलाते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थक भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द दो प्रकार के हैं - (i) पूर्ण पर्याय (ii) और अपूर्ण पर्याय।

पूर्ण पर्याय

पूर्ण पर्याय वे हैं, जो एक दूसरे का स्थान ले सकते हैं । जैसे :-

पहाड़, पर्वत	इंतज़ार, प्रतीक्षा
आदेश, हुक्म	इच्छा, चाह
अतिरिक्त, अलावा	आमदनी, आय
कष्ट, तकलीफ़	उकताना, ऊबना
अर्ज़ी, प्रार्थनापत्र	कारण, वजह
असर, प्रभाव	चीज़, वस्तु
आबादी, जनसंख्या	पक्षी, चिड़िया
कसरत, व्यायाम	निद्रा, नींद
कर्ज़, ऋण	जहर, विष
कपड़ा, वस्त्र	कीमत, मूल्य
अगर, यदि	क्षमा, माफ़ी
	खून, रक्त

सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो वस्तुतः कोई दो शब्द पूर्णतया समानार्थक नहीं होते। ऊपरी तौर पर 'पर्याय' दिखाई देनेवाले शब्दों में भी अर्थच्छटाएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। कुछ पर्यायवाची शब्द केवल साहित्य में प्रयुक्त होते हैं, जैसे : आँख के लिए नेत्र, नयन, लोचन। समुद्र के लिए जलधि, वारिधि। हाथी के लिए हस्ती, कुंजर, गज, द्विरद। किन्तु सामान्य भाषा में इनका प्रचलन नहीं है। इस प्रकार पूर्ण पर्यायों की संख्या बहुत कम रह जाती है।

अपूर्ण पर्याय

अपूर्ण पर्याय वे हैं, जिनके अर्थ और प्रयोग में अंतर होता है । जैसे :-

संज्ञाएँ

1) अच्छाई - उसमें यह भी एक अच्छाई है। भलाई - (भला कार्य) उसने मेरे साथ भलाई की है ?
2) अस्त्र - जो फेंका जाए, जैसे : बम, बाण। शस्त्र - जो हाथ में रखे - रखे चलाया जाय।
3) आचार - व्यक्तिगत आचरण। व्यवहार - समाजगत (इसरों के प्रति) आचरण।
4) सेवा - गुरुजनों की। शुश्रूषा - रोगी आदि की।
5) मंत्री - मिनिस्टर। सचिव - सेक्रेटरी।
6) किराया - मकान का किराया। भाड़ा - रेल या बस का भाड़ा ।
7) उन्नति - ऊपर उठकर विकास करना। प्रगति - आगे बढ़ना।

विशेषण

8) अद्वितीय - जिसके जोड़ का कोई नहीं । अनुपम - जिसकी उपमा न हो ।
9) पर्याप्त - जितना चाहिए था उतना, काफ़ी। बहुत - संख्या और परिमाण में अधिक ।
10) अमूल्य - जिसका कोई मूल्य निश्चित नहीं किया जा सके । जैसे : - विद्याधन अमूल्य होता है । बहुमूल्य - जिसका मूल्य सामान्य वस्तुओं से अधिक हो । जैसे :- हीरा बहुमूल्य होता है ।
11) अलौकिक - जो इस लोक में न हुआ हो । असाधारण - साधारण से अधिक विशिष्ट या जनसाधारण की शक्ति से परे।

क्रियाएँ

12) चाकू से **काटना** ; कैंची से कतरना ।
13) लकड़ी या पेट **चीरना** ; कागज़ या कपड़ा फाड़ना ।
14) **घूमना, मुड़ना** ; वह बाग में घूमने गया है ; आप दाहिने से मुड़ जाइए ।
15) दूध **खौलाना** ; चावल उबालना ; खाना पकाना ।

3. 2. 1. 1. 2. 4 विलोमार्थी या विपरीतार्थक शब्द

किसी शब्द से विपरीत अर्थ देनेवाले शब्द को "विलोम" या 'विपरीतार्थक' कहा जाता है । यथा -

शब्द	विलोम	शब्द	विलोम
अग्रज	अनुज	उतार	चढ़ाव
अल्पज्ञ	बहुज्ञ	ऊँचा	नीचा
अक्षम	सक्षम	गरीब	अमीर
अतिवृष्टि	अनावृष्टि	गर्मी	सर्दी
अंतरंग	बहिरंग	टूटना	जुड़ना
अमृत	विष	हानि	लाभ
दुर्लभ	सुलभ	बाहर	भीतर
खरा	खोटा	जीत	हार
उत्थान	पतन	बुराई	भलाई
कनिष्ठ	ज्येष्ठ	स्थावर	जंगम
खंडन	मंडन	ह्रस्व	दीर्घ
क्रय	विक्रय	कपूत	सपूत

3. 2. 1. 1. 2. 5 समूहवाची शब्द

जो शब्द समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाची कहलाते हैं । यथा :-

ऊँटों का काफिला, कारवाँ
मधुमक्खियों का छत्ता
डाकुओं का गिरोह
सिपाहियों का जत्था
लोगों की भीड़
फूलों का गुच्छा
बकरियों का रेवड़
लताओं का कुंज

3. 2. 1. 1. 2. 6 ध्वनिबोधक शब्द

जो शब्द ध्वनि का बोध कराते हैं, उन्हें ध्वनिबोधक कहते हैं। जैसे : कबूतर गुटरगूँ गुटरगूँ करता है।

घंटा टनटनाता है।

भैंस चुड़कती है।

बंदर चिचियाते / किकियाते हैं।

दाँत सर्दी से किटकिटाते हैं।

घोड़े हिनहिनाते हैं।

पंख फड़फड़ाते हैं।

हवा सरसराती है।

3.2.1.1.2.7 युग्म शब्द (Paronyms)

भाषा में दो शब्द निश्चित रूप से एक साथ प्रयुक्त हों तो उन्हें 'युग्म' कहते हैं। इनमें कभी - कभी विपरीतार्थक शब्द भी होते हैं, जैसे :- अच्छाई - बुराई, और कभी उसी अर्थवाचक दूसरा अन्य शब्द भी, जैसे :- कपड़ा - लत्ता, और कभी मिलते - जुलते शब्द, जौसे : - ओढ़ना - बिछौना आदि । युग्म - शब्दों के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं :-

अनुनय - विनय	टूटा - फूटा
लाड़ - प्यार	ठौर - ठिकाना
अन्न - जल	बोरिया - बिस्तर
अपना - पराया	जादू - टोना
आदान - प्रदान	चौका - बरतन
आमोद - प्रमोद	दाल - रोटी
काम - काज	भूल - चूक
गया - बीता	लीपना - पोतना
चमक - दमक	भीड़ - भाड़
घुलना - मिलना	उथल - पुथल
जोड़ - तोड़	लेन - देन

3. 2. 1. 1. 3 रचना या बनावट के आधार पर शब्द-भेद

उक्त आधार पर शब्दों के तीन भेद बनते हैं - रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। लोटा, गंगाजल, लंबोदर - ये क्रमशः रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द हैं ।

3. 2. 1. 1. 3. 1 रूढ़ शब्द

जिनका सार्थक खण्ड नहीं हो सकता अथवा जो शब्द दूसरे शब्दों के योग से नहीं बनने, वे 'रूढ़' कहलाते हैं। यथा :- घोड़ा, हाथ, आग, नाक, कान, झट, पर, लोटा, डोरी, दाल-इत्यादि।

3. 2. 1. 1. 3. 2 यौगिक शब्द

जो शब्द दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं वे 'यौगिक' कहलाते हैं । अथवा रूढ़ शब्द के साथ उपसर्ग प्रत्यय या कोई अन्य शब्द जोड़ने से यौगिक शब्द बनता है । यथा : पाठशाला, श्रद्दालु, घुड़साल, बडप्पन, लंबाई, विद्यालय, भुलक्कड़ - इत्यादि।

3. 2. 1. 1. 3. 3 योगरूढ़ शब्द

जो शब्द बनावट में यौगिक होते हुए भी किसी विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है, वह 'योगरूढ़' है । यथा:- लंबोदर - लंबे उदरवाला - (विशेष अर्थ) गणेश।
पंकज - कीचड़ से उत्पन्न - (विशेष अर्थ) कमल।
गिरिधारी - गिरि को धारण करनेवाला - (विशेष अर्थ) कृष्ण।

3. 2. 1. 1. 4 विकार या रूपांतर के आधार पर शब्द - भेद

शब्द का अर्थ बदलने के लिए उस शब्द के रूप में जो परिवर्तन होता है, उसे रूपांतर कहते हैं । रूपांतर शब्द को विकृत बना देता है । अतः विकार कहलाता है। विकार रूपांतर के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं - विकारी और अविकारी।

3. 2. 1. 1. 4. 1 विकारी शब्द

लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल, अर्थ, वाच्य - आदि व्याकरणिक कोटियों के कारण, जिन शब्दों में कोई रूपांतर या विकार होता है, वे 'विकारी शब्द'

कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया - ये चारों विकारी शब्द-भेद हैं। यथा :-

संज्ञा - लड़का, लड़के, लड़की।

सर्वनाम - वह, वे, उसे, उन्हें, उसका, उनका।

विशेषण - अच्छा, अच्छे, अच्छी, अच्छों (ने)।

क्रिया - देख, देखे, देखूँ, देखा, देखिए ।

3. 2. 1. 1. 4. 2 अविकारी शब्द

जिन शब्दों में कोई विकार या रूपांतर नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं । इनका दूसरा नाम 'अव्यय' है । क्रियाविशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक - ये चारों अविकारी शब्द-भेद हैं । यथा : धीरे-धीरे, नीचे, इसलिए, वाह-वाह । उक्त अव्यय लिंग, वचन और विभक्ति से अप्रभावित हैं ।

3. 2. 1. 1. 5 प्रयोगाधारित शब्द - भेद

वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों के आठ भेद बनते हैं । यथा :-

1. संज्ञा (=वस्तुओं/व्यक्तियों के नाम बतानेवाले शब्द ।)
2. सर्वनाम (=संज्ञाओं के बदले आनेवाले शब्द ।)
3. विशेषण (=वस्तुओं/व्यक्तियों की विशेषता बतानेवाले शब्द ।)
4. क्रिया (=वस्तुओं / व्यक्तियों के विषय में विधान करनेवाले शब्द ।)
5. क्रियाविशेषण (=क्रिया की विशेषता बतानेवाले शब्द ।)
6. संबंधबोधक (=संबंध दिखानेवाले शब्द ।)
7. समुच्चयबोधक (=दो शब्दों / वाक्यों को जोड़नेवाले शब्द ।)
8. विस्मयादिबोधक (= केवल मनोविकार सूचित करनेवाले शब्द ।)

पं कामता प्रसाद गुरु ने उक्त आठ शब्द-भेदों को दो वर्गों में बाँटा है । यथा:- भावनात्मक शब्द और संबंधात्मक शब्द ।

1) भावनात्मक शब्द

1. संज्ञा (= वाक्य का उद्देश्य होनेवाले शब्द)।
2. क्रिया (=विधेय होनेवाले शब्द ।)

3. विशेषण (= संज्ञा का धर्म बतानेवाले शब्द ।)
4. क्रियाविशेषण (= क्रिया का धर्म बतानेवाले शब्द ।)

2) संबंधात्मक शब्द

1. संबंधबोधक (= संज्ञा का संबंध वाक्य से बतलानेवाले शब्द ।)
2. समुच्चयबोधक (= वाक्य का संबंध वाक्य से बतलानेवाले शब्द ।)
3. सर्वनाम (= अप्रधान (परंतु उपयोगी) शब्द-भेद ।)
4. विस्मयादिबोधक (= अव्याकरणीय उद्गार ।)

आगे उक्त आठ शब्द-भेदों की परिभाषा प्रस्तुत की जाएगी ।

3. 2. 1. 1. 5. 1 संज्ञा

संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं, जिससे प्रकृत किंवा कल्पित सृष्टि की किसी वस्तु का नाम सूचित हो ; जैसे-घर, आकाश, गंगा, देवता, अक्षर, बल, जादू, इत्यादि । (पं कामता प्रसाद गुरु)

3. 2. 1. 1. 5. 2 सर्वनाम

सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है, जैसे-मैं (बोलनेवाला), तू (सुननेवाला), यह (निकटवर्ती वस्तु), वह (दूरवर्ता वस्तु) इत्यादि । (पं कामता प्रसाद गुरु)

3. 2. 1. 1. 5. 3 विशेषण

जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, उसे विशेषण कहते हैं ; जैसे - बड़ा, काला, दयालु, भारी, एक, दो, सब । (पं कामता प्रसाद गुरु)

3. 2. 1. 1. 5. 4 क्रिया

जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, उसे क्रिया कहते हैं ; जैसे - ' हरिण भागा,' ' राजा नगर में आये,' ' मैं जाऊँगा,' ' घास हरी होती है ' - इन वाक्यों में " भागा, आये, जाऊँगा, होती है " - ये क्रियाएँ हैं । भाग, आ, जा, हो - ये उक्त क्रियाओं के धातुरूप हैं। (पं कामता प्रस्तद गुरु)

3. 2. 1. 1. 5. 5 क्रियाविशेषण

जिस अव्यय से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती है, उसे क्रियाविशेषण कहते हैं; जैसे - यहाँ, वहाँ, जल्दी, धीरे, अभी, बहुत, कम इत्यादि । (पं कामता प्रसाद गुरु)

3. 2. 1. 1. 5. 6 संबंधबोधक

जो अव्यय संज्ञा (अथवा संज्ञा के समान उपयोग में आनेवाले शब्द) के बहुधा पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ मिलाता है उसे संबंधसूचक कहते हैं ; जैसे - "धन के बिना किसी का काम नहीं चलता " " नौकर गाँव तक गया " " रात भर जागना अच्छा नहीं होता " - इन वाक्यों में "बिना, तक, भर" संबंधसूचक हैं । (पं कामता प्रसाद गुरु) यह द्रष्टव्य है कि संबंधबोधक को ही संबंधसूचक कहा गया है ।

3. 2. 1. 1. 5. 7 समुच्चयबोधक

जो अव्यय (क्रिया की विशेषता न बतलाकर) एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से मिलाता है, उसे समुच्चयबोधक हैं, जैसे - और, यदि, तो, क्योंकि, इसलिए । (पं कामता प्रसाद गुरु)

3. 2. 1. 1. 5. 8 विस्मयादिबोधक अव्यय

जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं रहता, जो वक्ता के केवल हर्ष शोकादि भाव सूचित करते हैं उन्हें विस्मयादि - बोधक अव्यय कहते हैं ; जैसे - हाय ! अब मैं क्या करूँ " । (सत्य) । हैं ! यह क्या कहते हो !' (परी)। इन वाक्यों में 'हाय' दुःख और 'हैं' आश्चर्य तथा क्रोध सूचित करता है और जिन वाक्यों में ये शब्द हैं, उनसे इनका कोई संबंध नहीं है । (पं कामता प्रसाद गुरु) " आह, वाह - वाह, धिक्, अहो, शाबाश" - इत्यादि विस्मयादिबोधक अव्यय के अन्य उदाहरण हैं।

अगली इकाइयों में उक्त आठ शब्द - भेदों का विस्तृत विवेचन किया जाएगा।

3.3 सारांश

शब्दों के वर्गीकरण के पाँच आधार हैं - (i) व्युत्पत्ति या इतिहास (ii) अर्थ (iii)रचना या बनावट (iv) विकार या रूपांतर और (v) वाक्य में प्रयोग । प्रस्तुत इकाई में उक्त आधारों पर शब्दों को वर्गीकृत किया गया है । वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्द-भेद आठ हैं - संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रियाविशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक । ये आठ शब्द - भेद अंग्रजी व्याकरण के अनुसार हिन्दी में माने गए हैं । पं कामता प्रसाद गुरु ने अपने "हिन्दी व्याकरण" में प्रयोगाधारित वर्गीकरण को मान्यता दी है।

3. 4 बोध - प्रश्न

i) 'शब्द' को परिभाषित कीजिए।

ii) 'शब्द-भेद' के कितने आधार हैं ? स्पष्ट कीजिए।

iii) 'तत्सम' को सोदाहरण समझाइए।

iv) हिन्दी में आगत विदेशी शब्दों का सोदाहरण विवेचन कीजिए।

3. 5 बोध - प्रश्नों के उत्तर - संकेत

i) देखिए उपपाठ 3. 2. 1. 1

ii) देखिए उपपाठ 3. 2. 1. 1

iii) देखिए उपपाठ 3. 2. 1. 1. 1

iv) देखिए उपपाठ 3. 2. 1. 1. 1. 4

3. 6 परिक्षार्थ प्रश्नों के नमूने

(i) व्युत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्द-भेद कितने हैं ? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए ।

(ii) अर्थ पर आधारित शब्द - भेदों का सोदाहरण निरूपण कीजिए ।

(iii) रचना या बनावट के आधार पर शब्द-भेद कितने हैं ? उदाहरण देकर समझाइए ।

(iv) 'विकार या रूपांतर' को समझाते हुए, उन पर आधारित शब्द-भेदों का विवेचन कीजिए।

(v) प्रयोगाधारित शब्द - भेदों की परिभाषा देते हुए, उन्हें सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।

3.7 उत्तर - संकेत

(i) देखिए उपपाठ 3. 2. 1. 1. 1

(ii) देखिए उपपाठ 3. 2. 1. 1. 2

(iii) देखिए उपपाठ 3. 2. 1. 1. 3

(iv) देखिए उपपाठ 3. 2. 1. 1. 4

(v) देखिए उपपाठ 3. 2. 1. 1. 4

3.8 अध्ययन - सामग्री

1) शिक्षार्थी हिन्दी व्याकरण - प्रो. ना. नागप्पा

2) हिन्दी व्याकरण - पं कामता प्रसाद गुरु

3) व्यावहारिक हिन्दी - डॉ. कैलाश चन्द्र भाटिया

4) हिन्दी का सामान्य ज्ञान - भाग 1 डॉ. हरदेव बाहरी

BLOCK - 5

Unit - 4

संज्ञा, वचन और लिंग

04.0 उद्देश्य

04.1 प्रस्तावना

04.2 मूलपाठ - संज्ञा, वचन और लिंग

04.2.1 संज्ञा

04.2.1.1 व्यक्तिवाचक संज्ञा

04.2.1.2 जातिवाचक संज्ञा

04.2.1.3 भाववाचक संज्ञा

04.2.1.4 द्रव्यवाचक संज्ञा

04.2.1.5 समूहवाचक संज्ञा

04.2.2 वचन

04.2.2.1 एकवचन

04.2.2.2 बहुवचन

04.2.2.3 वचन-परिवर्तन

04. 2. 3 लिंग

4. 2. 3. 1 पुल्लिंग

4. 2. 3. 2 स्त्रीलिंग

4. 2. 3. 3 लिंगनिर्णय

4. 2. 3. 4 स्त्रीप्रत्यय

4. 3 सारांश

4. 4 बोध-प्रश्न

4. 5 बोध-प्रश्नों के उत्तर - संकेत

4. 6 परीक्षार्थ प्रश्नों के नमूने

4. 7 उत्तर- संकेत

4. 8 अध्ययन - सामग्री

4. 0 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई का उद्देश्य है - संज्ञा को परिभाषित करना, उसके भेदों का सोदाहरण निरूपण करता, उसकी दो व्याकरणिक कोटियों (वचन और लिंग) को प्रस्तुत करना। यह जानता नितान्त आवश्यक है कि हिन्दी की भाषिक [illegible]

4. 1 प्रस्तावना

कहा जा चुका है कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द - भेद आठ हैं । उनमें से प्रथम शब्द 'संज्ञा' है । जिन पदात्मक रूपों से व्याकरणिक संबंधों की अभिव्यक्ति होती है, उन्हें 'व्याकरणिक कोटियाँ' (grammatical categories) कहते हैं । वचन, लिंग और कारक - ये तीनों संज्ञा की कोटियाँ हैं । ये संज्ञा की रूप-रचना के आधार हैं ।

4. 2 मूलपाठ : संज्ञा, वचन और लिंग

मूलपाठ के प्रतिपाद्य को तीन उपपाठों में विभक्त किया जाएगा । प्रथम उपपाठ (4. 2. 1) में संज्ञा, द्वितीय उपपाठ (4. 2. 2) में वचन और तृतीय उपपाठ (4. 2. 3) में लिंग का सोदाहरण विवेचन किया जाएगा। छात्रों को हिन्दी की लिंग - प्रक्रिया और वचन - व्यवस्था से अवगत कराने का प्रयत्न किया जाएगा।

4. 2. 1 संज्ञा

"संज्ञा" अनेकार्थक शब्द है । "चेतना, बुद्धि, होश, ज्ञान, आख्या, नाम, वह सार्थक विकारी शब्द जिससे किसी काल्पित या वास्तविक वस्तु के नाम का बोध हो, विश्वकर्मा की कन्या, सूर्य की पत्नी "संज्ञा" शब्द के अर्थ हैं । (भाषा-शब्द - कोषः राम शंकर शुक्ल "रसाल") व्याकरण में 'संज्ञा' एक पारिभाषिक पद है । उसका अर्थ है - वह सार्थक विकारी शब्द जिससे किसी कल्पित या वास्तविक वस्तु के नाम का बोध हो । 'संज्ञा' के स्वरूप का विश्लेषण निम्नलिखित परिभाषाओं से किया जा सकता है, यथा :-

1) वस्तुओं के नाम बतानेवाले शब्द -------------------- संज्ञा ।

(हिन्दी व्याकरणः कामता प्रसाद गुरु)

2) संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं, जिससे प्रकृत किंवा कल्पित सृष्टि की किसी वस्तु का नाम सूचित हो । (हिन्दी व्याकरणः कामता प्रसाद गुरु)

3) संज्ञा पदार्थ के नाम को कहते हैं । (भाषा तत्वषोधिनी - रामजसन)

4) संज्ञा वस्तु के नाम को कहते हैं । (भाषा भास्कर - पादरी एथरिंगटन)

5) पदार्थ मात्र को संज्ञा कहते हैं । (भाषा तत्व दीपिका - हरिगोपाल पाध्ये)

6) वस्तु के नाम मात्र को संज्ञा कहते हैं । (कामता प्रसाद गुरु के 'हिन्दी व्याकाराण' में उद्धत)

7) किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं । वस्तु का अर्थ है जिसका अस्तित्व हो या जिसके अस्तित्व की कल्पना की जा सके । (हिन्दी का सामान्य ज्ञान - भाग - 1; डॉ हरदेव बाहरी) उक्त परिभाषाओं में दो अंश हैं - (1) संज्ञा विकारी शब्द है । और (2) संज्ञा की किसी वस्तु का नाम सूचित होता है। 'संज्ञा' और 'नाम' एक दूसरे के पर्यायवाची - से लगते हैं । जिस कागज पर पुस्तक छपती है, वह कागज़ संज्ञा नहीं है, किन्तु पदार्थ है, पर 'कागज़' शब्द, जिसके द्वारा हम उस पदार्थ का नाम सूचित करते हैं, संज्ञा है ।

श्री कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया है:-

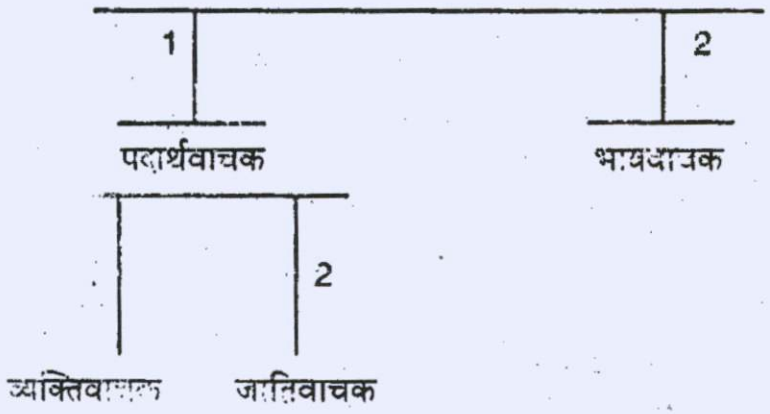

कामता प्रसाद गुरू ने 'द्रव्यवाचक' और 'समूहवाचक' को नहीं माना है । उनका कहना है कि अंग्रेजी के समान हिन्दी में इनकी विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि इनका समावेश 'जातिवाचक' में हो जाता है , किंतु आधुनिक व्याकरणकारों ने अंग्रेजी के समान हिन्दी में भी संज्ञाओं के पाँच प्रकार माने हैं यथा -

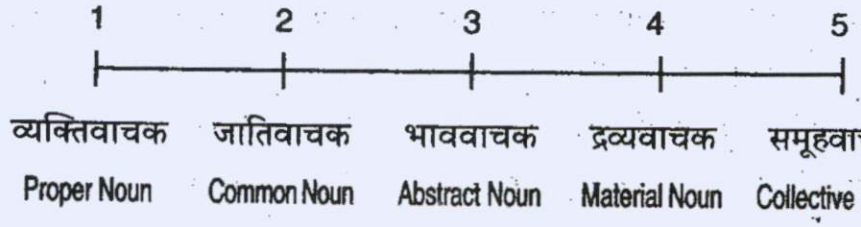

4. 2. 1. 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा

"जिस संज्ञा से किसी एक ही पदार्थ वा पदार्थों के एक ही समूह का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे - राम, काशी, गंगा, महामंडल - इत्यादि ।" (कामता प्रसाद गुरु)

व्यक्तियों, नगरों, गाँवों, पर्वतों, नदियों आदि के विशिष्ट नाम व्यक्तिवाचक हैं; जैसे - राम, कमला, दिल्ली, कलकत्ता, मंझनपुर, हिमालय, गोदावरी - इत्यादि । जो नाम रखे जाते हैं वे सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ हैं । व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, नगर, नदी आदि की पहचान की जाती है।

जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक ही नाम के अनेक व्यक्तियों का बोध कराने के लिए किया जाता है, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, यथा - राम तीन हैं । कुछ लोग शेक्सपियर को इंग्लण्ड का कालिदास कहते हैं । वह कलियुग का भीम है । वह हमारे गाँव का रावण है।

यहाँ "राम, कालिदास, भीम, रावण जातिवाचक संज्ञाओं के समान प्रयुक्त हुए हैं ।

4. 2. 1. 2 जातिवाचक संज्ञा

"जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों वा उनके समूहों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे - मनुष्य, घर, पहाड़, नदी - इत्यादि ।" (कामता प्रसाद गुरु)

"जिस नाम से एक ही प्रकार की सामान्य वस्तुओं का, पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं । " (डॉ हरदेव बाहरी)

"जातिवाचक संज्ञा से किसी जाति या वर्ग का बोध होता है ; जैसे - गाय।

गाय हमारे घर की, पड़ोसी के घर की, दूसरे देश की कोई भी गाय हो सकती है । 'गाय' कहने से 'गाय' जाति के प्रत्येक प्राणी का बोध होता है। पर 'कामधेनु' स्वर्ग की गाय है, विशिष्ट गाय है - इसलिए 'कामधेनु' व्यक्तिवाचक संज्ञा है ।" (शिक्षार्थी हिन्दी व्याकरण - प्रो ना नागप्पा)

हिमालय, विन्ध्याचल, नीलगिरि एक दूसरे से भिन्न हैं, क्योंकि वे अलग-अलग व्यक्ति हैं; परंतु वे एक मुख्य धर्म में समान हैं, अर्थात वे धरती के बहुत ऊँचे भाग हैं । इस साधर्म्य के कारण उनकी गिनती एक ही जाति में होती है । इस जाति का नाम पहाड़ है । 'पहाड़' जातिवाचक संज्ञा है । हिग्गलय आदि व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ हैं । यह समझना चाहिए कि 'जाति' में कई व्यक्तियों का अन्तर्भाव होता है ।

4. 2. 1. 3 भाववाचक संज्ञा

"जिस संज्ञा से पदार्थ में पाये जानेवाले किसी धर्म का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं । जैसे :- लंम्बाई, चतुराई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल - इत्यादि ।" (कामता प्रसाद गुरु)

"गुण, कर्म, स्वभाव का बोध करानेवाले नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे - खुलापन, उपयोगिता, सफ़ेदी, नीलाहट, हँसी, खुशी ।" (डॉ हरदेव बाहरी)

भावों का वाचक शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाता है । भाववाचक संज्ञा का बहुवचन-रूप नहीं होता । कभी-कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के समान होता है । यथा - "हम गर्मियों में मसूरी जाते हैं । "गर्मियों में" अर्थात "गर्मी के मौसम में"। 'गर्मियाँ' जातिवाचक संज्ञा है । भाववाचक संज्ञाएँ निम्नलिखित शब्द-भेदों से बनती हैं, यथा -

(अ) जातिवाचक संज्ञा से - (मित्र + ता =) मित्रता, (लड़का + पन =) लड़कपन

(मनुष्य + त्व =) मनुष्यत्व, (दास + य =) दास्य।

(आ) विशेषण से - गरमी, सरदी, चालाकी, ठंडक, मिठास, बडप्पन, चतुराई, उदारता, धैर्य, छुटपन ।

(इ) क्रिया से - (चलना + से) चाल, (' दौड़ना ' से) दौड़, (' घबराना ' से) घबराहट, ('मारना ' से) मार, (' सजाना ' से) सजावट।

(ई) क्रियाविशेषण से - ('अलग ' से) अलगाव, (' तेज ' से) तेजी।

(उ) सर्वनाम से - (' मम ' से) ममता, ('अपना ' से) अपनापा।

(ऊ) विस्मयादिबोधक अव्यय से - ('शाबाश ' से) शाबाशी, ('वाहवाह ' से) वाहवाही।

4. 2. 1. 4 द्रव्यवाचक संज्ञा

द्रव्यवाचक संज्ञा उस वस्तु के नाम को कहते है जिससे कोई दूसरी वस्तु बनती है । दूसरी वस्तु कार्य है तो पहली वस्तु कार्य की पूर्ववर्तिता से कारण है । जैसे - मिट्टी का घड़ा, सोने की अंगूठी, दूध का खोवा । यहाँ मिट्टी, सोना और दूध द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा भी बनती है, यथा - बच्चा दूध पीता है । ('दूध' जातिवाचक संज्ञा है ।) दूध से दही बनता है और दही से मक्खन । ('दूध' और 'दही' द्रव्यवाचक संज्ञाएँ हैं ।) यह द्रष्टव्य है कि द्रव्यवाचक संज्ञा (कारण) और जातिवाचक संज्ञा (कार्य) का सह-प्रयोग होता है जिससे द्रव्यवाचक संज्ञा की पहचान की जाती है।

4. 2. 1. 5 समूहवाचक संज्ञा

जिस संज्ञा से प्राणियों या पदार्थों के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, यथा :- झुंड, भीड़, वृंद, गुच्छा, दल - इत्यादि ।

4. 2. 2 वचन

"वचन" का शाब्दिक अर्थ है 'संख्या' । पं कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में - " संज्ञा (और दूसरे विकारी शब्दों) के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे 'वचन' कहते हैं । डॉ हरदेव बाहरी का कहना है कि "संज्ञा के जिस रूप से यह बोध होता हो कि अमुक पदार्थ या व्यक्ति एक है या अनेक हैं, उसे वचन कहते हैं ।"

लड़का पढ़ रहा है । लड़के पढ़ रहे हैं । पुस्तक मेज़ पर है । पुस्तकें मेज़ पर हैं ।

ऊपर के वाक्यों में 'लड़का' और 'पुस्तक' शब्द क्रमशः व्यक्ति और वस्तु की एक ही संख्या को प्रकट कर रहे हैं। 'लड़के' और 'पुस्तकें' - ये शब्द अधिक संख्या को प्रकट कर रहे हैं। 'वचन' एक व्याकरणिक कोटि है जिसके कारण संज्ञा, सर्वनाम और विशेषता में रूपांतर होता है, यथा - बच्चा, बच्चे (संज्ञा), वह, वे (सर्वनाम), अच्छा, अच्छे (विशेषण)

'वचन' के कारण क्रियापद का भी रूपांतर होता है, यथा - पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं ।

चला, चले ।

चली, चलीं ।

'वचन' के बारे में यह समझा जा सकता है कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के जिस रूप से यह पता चले कि वह एक को बता रहा है या अधिक को, उसे वचन कहते हैं । निष्कर्षतः यों कहा जा सकता है कि संज्ञा (या दूसरे किसी विकारी शब्द) के जिस रूप से संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं । 'लड़का' शब्द एकवचन है, 'लड़के' शब्द बहुवचन है । भाषा में संज्ञा - शब्दों का प्रयोग इस तरह किया जाता है कि कभी तो वे केवल एक का बोध कराते हैं और कभी एक से अधिक का । एक या अनेक के भाव का बोध जिस रूप के द्वारा किया जाता है, उसे वचन कहते हैं । हिन्दी में दो वचन हैं - एकवचन और बहुवचन

4. 2. 2. 1 एकवचन

संज्ञा के जिस रूप से एक ही वास्तु का बोध होता है, उसे एकवचन कहते हैं । जैसे :- लड़का, कपड़ा, टोपी, रंग, रूप । (कामता प्रसाद गुरु)

यह समझा जा सकता है कि संज्ञा के जिस रूप से एकत्वसंख्या का बोध होता है, वह एकवचन है ।

व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रायः बहुवचन-रूप नहीं होता । जब अनेक व्यक्तियों के बोध के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रयुक्त, होती है, तब बहुवचन में जातिवाचक बन जाती हैं, यथा

"राम तीन हैं, - दाशरथि राम, परशुराम और बलराम ।" इस वाक्य में 'राम' शब्द. ' बहुत्व ' और ' राम नामक पुरूषों ' का बोधक है ।

" पानी, दूध, दही, सोना " - आदि का प्रायः बहुवचन में प्रयोग नहीं है ।

एकवचन के प्रयोग से कभी - कभी पूरी जाति का बोध होता है, यथा - "हम गाय की पूजा करते हैं।" " गाय " शब्द एक गोव्यक्ति का बोधक नहीं है, किंतु पूरी गोजाति का बोधक है।

4. 2. 2. 2 बहुवचन

संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं । बहुवचन से वस्तुओं/व्यक्तियों के बहुत्व (Plurality) को प्रकट किया जाता है । जैसे - लड़के, कपड़े, नदियाँ, बहुएँ, पुस्तकें आदि ।

आदर के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है, यथा - " कण्व ऋषि पधारे हैं ।" इस वाक्य में 'कण्व ऋषि' शब्द का प्रयोग बहुवचन में हुआ है जो आदरार्थक है । किन्तु बहुत्वसंख्या का बोधक नहीं है । 'आश्रम से तीन ऋषि पधारे हैं ।' - इस वाक्य में 'ऋषि' शब्द से बहुत्व (Plurality) प्रकट किया जाता है ।

पं० कामता प्रसाद गुरु का कहना है कि संज्ञाओं के भेदों में से बहुधा जातिवाचक संज्ञाएँ ही बहुवचन में आती हैं । परंतु जब व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के समान होता है, तब उसका भी बहुवचन होता है, जैसे :-

"कहु रावण, रावण जग केते ।" (रामचरितमानस) प्रथम 'रावण' शब्द व्यक्तिवाचक है, पर द्वितीय 'रावण' शब्द जातिवाचक संज्ञा के समान प्रयुक्त हुआ है ।

"उतनी बुरी हैं भावनाएँ हाय ! मम हृद्धाम में ।" (कविताकलाप - पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी) 'भावनाएँ' जातिवाचक संज्ञा है । बहुधा द्रव्यवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता; परंतु जब किसी द्रव्य की भिन्न भिन्न जातियाँ

सूचित करने की आवश्यकता होती है, तब इन संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में होता है, यथा - "आजकल बाजार में कई तेल बिकते हैं ।"

पदार्थों की बड़ी संख्या, परिमाण या समूह सूचित करने के लिए जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुधा एकवचन में होता है, जैसे :- "मेले में केवल शहर का आदमी आया । उसके पास बहुत रूपया मिला । इस साल नारंगी बहुत हुई है।

कई एक शब्द बहुत्व की भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं, जैसे :- समाचार, प्राण, दाम, लोग, होश, हिज्जे, दर्शन।

आदरार्थक बहुवचन में व्यक्तिवाचक या उपनामवाचक संज्ञाओं के आगे जी, महाराज, साहब, महाशय, महोदय, बहादुर, शास्त्री, स्वामी, देवी - इत्यादि लगाते हैं, जैसे :- गयाप्रसादजी, रणजीतसिंह महाराज, वकील साहब, शिवदत्त महाशय, सर जेम्स मेस्टन महोदय, लाट साहब बहादुर, रामप्रसाद शास्त्री, तुलसीराम स्वामी, दयानन्द सरस्वती, गायत्री देवी।

4. 2. 2. 3 वचन-परिवर्तन

(अ) हिन्दी के आकारान्त पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अन्त्य 'आ' के स्थान में 'ए' लगाते हैं; जैसे -

एकवचन	**बहुवचन**
लड़का	लड़के
कपड़ा	कपड़े
घोड़ा	घोड़े
कमरा	कमरे

संज्ञा के समान, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के अन्त्य 'आ' के स्थान में 'ए' करने से बहुवचन-रूप बनता है ।

यथा :- सर्वनाम - अपना मकान, अपने मकान ।

विशेषण - अच्छा लड़का, अच्छे लड़के ।

क्रिया - बच्चा रोया, बच्चे रोये ।

अपवाद :- साला, पोता, भानजा, भतीजा, बेटा - आदि शब्दों को छोड़कर शेष संबंधवाचक, उपनामवाचक और प्रतिष्ठावाचक आकारन्त पुल्लिंग शब्दों का रूप दोनों वचनों में एक ही रहता है; जैसे :- (संबंधवाचक) - काका, नाना, मामा, दादा, लाला । (उपनामवाचक) - बाबा, राना, पंडा । (प्रतिष्ठावाचक) - सूरमा।

पं० कामता प्रसाद गुरु का कहना है कि "बापदादा, मुखिया, अगुआ, पुरखा" के रूप वैकल्पिक हैं, यथा -

एकवचन	बहुवचन
बापदादा	बापदादा/बापदादे
मुखिया	मुखिया/मुखिये
अगुआ	अगुआ/अगुए
पुरखा	पुरखा/पुरखे

कोई कोई लेखक "राजा" और "योद्धा" का बहुवचन "राजे" और "योद्धे" भी लिखते हैं । किन्तु सर्वत्र बहुवचन में "राजा" और "योद्धा" - ऐसे रूप ही प्रचलित हैं, यथा :- "सब राजा अपनी अपनी सेना लेकर पहुँचे ।" "बड़े-बड़े योद्धा खड़े हैं।

(आ) संकृत की ऋकारान्त और नकारान्त पुल्लिंग संज्ञाएँ, जो हिन्दी में आकारान्त हो जाती हैं, बहुवचन में अविकृत रहती हैं, यथा :-

एकवचन	बहुवचन
कर्ता	कर्ता
हन्ता	हन्ता
पिता	पिता
युवा	युवा
जामाता	जामाता

(ई) जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में "आ" से भिन्न कोई और अक्षर हो तो उनका रूप दोनों वचनों में अपरिवर्तित रहता है, जैसे :-

अंत	लिंग	एकवचन	बहुवचन
अकारान्त	पुल्लिंग	घर, बालक,	घर, बालक,
इकारान्त	पुल्लिंग	ऋषि, मुनि, कवि,	ऋषि, मुनि, कवि,
ईकारान्त	पुल्लिंग	भाई, स्वामी, पक्षी	भाई, स्वामी, पक्षी
उकारान्त	पुल्लिंग	साधु, गुरु	साधु, गुरु
ऊकारान्त	पुल्लिंग	डाकू, लड्डू, उल्लू	डाकू, उल्लू, लड्डू
एकारान्त	पुल्लिंग	चौबे	चौबे
ओकारान्त	पुल्लिंग	रासो	रासो
औकारान्त	पुल्लिंग	जौ	जौ
अनुस्वारओकारान्त	पुल्लिंग	कोदों	कोदों

(ई)अकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन अन्त्य स्वर के स्थान में "एँ" करने से बनता है, जैसे :-

"वह बात खूब करता है, पर बातें करने से क्या, काम करना चाहिए ।"

अन्य उदाहरण :- बहन - बहनें, गाय - गायें, आँख - आँखें, रात - रातें, झील - झीलें, पुस्तक - पुस्तकें ।

(उ)"इ" "ई" "इया" - ये अक्षर यदि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में हों तो इन अक्षरों के स्थान पर "इयाँ" हो जाता है, यथा :-

अंत	लिंग	एकवचन	बहुवचन
इकारान्त	स्त्रीलिंग	तिथि, रीति, युक्ति	तिथियाँ, रीतियाँ, युक्तियाँ
ईकारान्त	स्त्रीलिंग	टोपी, रानी, नदी	टोपियाँ, रानियाँ, नदियाँ
इयान्त	स्त्रीलिंग	डिबिया, गुड़िया, चिड़िया, खटिया, लुटिया, लठिया	डिबियाँ, गुड़ियाँ, चिड़ियाँ खाटियाँ, लुटियाँ, लठियाँ

(ऊ) आकारान्त, उकारान्त, ऊकारान्त तथा औकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों में अन्त्य स्वर के परे 'एँ' लगाया जाता है और 'ऊ' को ह्रस्व कर दिया जाता है । बहुत - से लोग आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों में 'एँ' के स्थान पर 'यें' लिखते हैं । यथा:-

अंत	लिंग	एकवचन	बहुवचन
आकारान्त	स्त्रीलिंग	लता, माता, शाला,	लताएँ / लतायें, माताएँ / मातायें, शालाएँ / शालायें
उकारन्त	स्त्रीलिंग	वस्तु	वस्तुएँ
ऊकारान्त	स्त्रीलिंग	बहू, लू	बहुएँ, लुएँ
औकारान्त	स्त्रीलिंग	गौ	गौएँ

(ए) सानुस्वार ओकारान्त और औकारान्त स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में बहुधा अविकृत रहते हैं, जैसे :-
दौं, जोखों, सरसों, गौं ।

(ऐ) वचनभेद करने के लिए "लोग, गण, वर्ग, जाति, जन"- आदि शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे :- ऋषि लोग, आर्य लोग, देवतागण, तारागण, बन्धुवर्ग, पाठकवर्ग, पशुजाति, भक्तजन, गुरुजन।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि संज्ञाएँ दो प्रकार की होती हैं - गणनीय संज्ञाएँ (Countable nouns) और अगणनीय संज्ञाएँ (Non-Countable Nouns)। जिन वस्तुओं को गिन सकते हैं, उनके वाचक शब्द गणनीय संज्ञाएँ हैं । गणनीयता (Countability) वचन - व्यवस्था का आधार है । गणनीय संज्ञाओं का बहुवचन - रूप होता है । 'दूध' 'तेल' 'गेहूँ' गिनने में नहीं आते । अतः ऐसे शब्दों का बहुवचन-रूप नहीं होता ।

(ओ) समाहार - द्वंद्व का प्रयोग बहुवचन में ही होता है, यथा :- "शादी में माँ-बाप आये । छुट्टियों में भाई-बहन घर आये हैं ।"

4. 2. 3 लिंग

"अलग अलग अर्थ सूचित करने के लिए शब्दो में जो विकार होते हैं, उन्हें रूपांतर कहते हैं । संज्ञा में लिंग, वचन और कारक के कारण रूपांतर होता है।

संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की (पुरुष वा स्त्री) जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं ।" (हिन्दी व्याकरण - कामता प्रसाद गुरु)

"जिस रूप से यह जाना जाय कि अमुक शब्द पुरुषजाति के लिए प्रयुक्त होता है अथवा स्त्रीजाति के लिए उसे लिंग कहते हैं, जैसे :- नाना, घोड़ा, लड़का और पंडित पुरुषजाति के लिए प्रयुक्त होते हैं । नानी, घोड़ी, लड़की और पंडितानी या पंडिताइन स्त्रीजाति के लिए प्रयुक्त होते हैं ।" (हिन्दी का सामान्य ज्ञान-भाग 1 : डॉ हरदेव बहरी)

संसार की समस्त वस्तुओं को - चेतन और जड़ - दो वर्गों में बाँटा जाता है । चेतन वर्ग में पुरुष और स्त्री जाति का भेद होता है, परंतु जड़ पदार्थों में यह भेद नहीं होता । इसलिए संपूर्ण वस्तुओं की एकत्र तीन जातियाँ होती हैं - पुरुष, स्त्री और जड़ । इन तीन जातियों के अनुसार उनके वाचक शब्दों को तीन लिंगों में बाँटा जाता है - पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग । अंग्रेजी तथा द्राविड़ भाषाओं में लिंग का निर्णय बहुधा ऐसी व्यवस्था के अनुसार होता है । संस्कृत, पालि, प्राकृत, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं में भी तीन लिंग हैं, परंतु उनमें कुछ जड़ पदार्थों को उनके कुछ विशेष गुणों के कारण सचेतन माना जाता है। जिन पदार्थों में कठोरता, बल, श्रेष्ठता आदि गुण दिखते हैं, उनमें पुरुषत्व की कल्पना करके उनके वाचक शब्दों को पुल्लिंग, और जिनमें नम्रता, कोमलता, सुंदरता आदि गुण दिखते हैं, उनमें स्त्रीत्व की कल्पना करके उनके वाचक शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं । शेष अप्राणिवाचक शब्दों को बहुधा नपुंसकलिंग कहते हैं । हिन्दी ने द्विलिंग पद्धति को अपनाया है । हिन्दी में नपुंसकलिंग नहीं है।

4. 2. 3. 1 पुल्लिंग

संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं । यथा :- लड़का, बेटा, पोता, घोड़ा, हाथी, पिता - इत्यादि । पं० कामता प्रसाद गुरू के शब्दों में "जिस संज्ञा से (यथार्थ वा कल्पित) पुरुषत्व का बोध होता, उसे पुल्लिंग कहने हैं । जैसे :- लड़का, बैल, पेड़, नगर - इत्यादि । इन उदाहरणों में 'लड़का' और 'बैल' यथार्थ पुरुषत्व सूचित करते हैं और 'पेड़' तथा 'नगर' से कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है, इसलिए ये शब्द पुल्लिंग हैं ।

हम हिन्दी के 'पुल्लिंग' को प्राकृतिक लिंग (Natural Gender or Sex) और व्याकरणिक लिंग (Grammatical Genger) - दोनों रूपों में देखते हैं, यथा:-

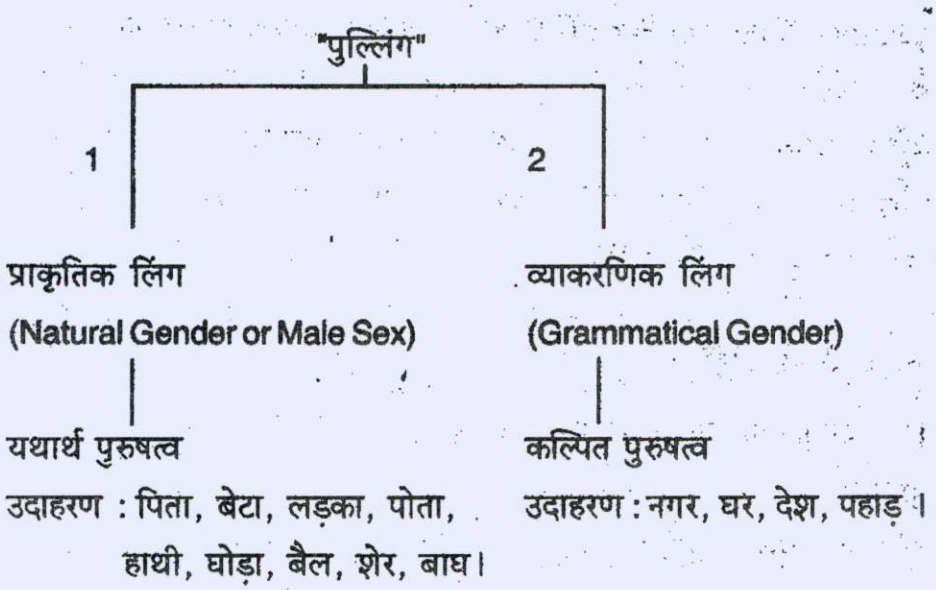

यह समझा जा सकता है कि हिन्दी में प्राकृतिक लिंग का बोधक पुल्लिंग एक ओर है तो व्याकरणिक पुल्लिंग (जिसका संबंध कल्पित पुरुषत्व और रूप - रचना से है) दूसरी ओर है।

4. 2. 3. 2 स्त्रीलिंग

जो शब्द स्त्रीजाति या मादा का बोध कराते हैं, वे स्त्रीलिंग हैं, जैसे :- अध्यापिका, बेटी, माता, बहन, हाथिनी, गाय, शेरनी, बाघिन, घोड़ी - इत्यादि। पं० कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में - "जिस संज्ञा से (यथार्थ व कल्पित) स्त्रीत्व का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं । जैसे : लड़की, गाय, लता, पुरी - इत्यादि । इन उदाहरणों में 'लड़की' और 'गाय' से यथार्थ स्त्रीत्व का और 'लता' तथा 'पुरी' से कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है ; इसलिए ये शब्द स्त्रीलिंग हैं ।

स्त्रीलिंग

1	2
प्राकृतिक लिंग	व्याकरणिक लिंग
(Natural Gender or Female Sex)	(Grammatical Gender)
यथार्थ स्त्रीत्व	कल्पित स्त्रीत्व
उदाहरण : माता, पत्नी, बेटी, पोती, गाय, घोड़ी, शेरनी, बाघिन।	लता, पुरी, पुस्तक, बात, आयु, राह।

4. 2. 3. 3 लिंग - निर्णय

(1) प्राकृतिक लिंग के आधार पर मनुष्य - संबंधी शब्दों का लिंग - निर्णय होता है, जैसे :-

पुल्लिंग - पुरुष, आदमी, राजा, दादा, नाना, पिता - इत्यादि ।

स्त्रीलिंग - स्त्री, औरत, रानी, दादी, नानी, माता - इत्यादि ।

(2) मनुष्येतर प्राणियों को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है - उच्चवर्ग और निम्न वर्ग । उच्चवर्ग के प्राणियों के वाचक शब्द प्राकृतिक लिंग के आधार पर या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग । यथा :-

पुल्लिंग - बैल, हाथी, शेर, बाघ, ऊँट, कुत्ता, मोर, रीछ, घोड़ा ।

स्त्रीलिंग - गाय, हथिनी, शेरनी, बाघिन, ऊँटनी, कुतिया, मोरनी, रीछनी, घोड़ी।

(3) कई मनुष्येतर प्रणिवाचक संज्ञायों से दोनों (पुरुष और स्त्री) जातियों का बोध होता है ; पर वे व्यवहार के अनुसार नित्य पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे:-

पुल्लिंग - पक्षी, उल्लू, कौआ, भेड़िया, चीता, खटमल ।

स्त्रीलिंग - चील, कोयल, मैना, गिलहरी, जोंक, तितली, मक्खी, मछली ।

(4) निम्नलिखित समूहवाचक शब्द व्यवहार के अनुसार पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं, यथा :-

पुल्लिंग - समूह, झुंड, कुटुंब, परिवार, संघ, दल, मण्डल ।

स्त्रीलिंग - भीड़, फौज़, सभा, सेना, प्रजा, सरकार, टोली ।

(5) एक ही अर्थ के शब्द अलग अलग लिंग के हैं, यथा :-

(अ) नेत्र (पु), नयन (पु), लोचन (पु), आँख (स्त्री) ।

(आ) मार्ग (पु), रास्ता (पु), सड़क (स्त्री), राह (स्त्री) ।

(इ) अनल (पु), पावक (पु), आग (स्त्री) ।

(ई) अमृत (पु), पीयुष (पु), सुधा (स्त्री)।

(उ) पुस्तक (स्त्री), किताब (स्त्री), ग्रंथ (पु) ।

(ऊ) शरीर (पु), जिस्म (पु), देह (स्त्री) ।

(ए) मृत्यु (स्त्री), मौत (स्त्री), मरण, देहान्त, निधन (पु) ।

(6) अर्थ के अनुसार भी शब्दों के लिंग की पहचान होती है ।

(अ) निम्नलिखित अप्राणिवाचक शब्द पुल्लिंग हैं :-

(i) शरीर के अवयवों के नाम - बाल, सिर, माथा, होंठ, कान, मुँह, दाँत, गला, पेट, सीना, हाथ, पाँव, नाखून।

(अपवाद :- आँख, नाक, जीभ, उँगली, छाती, हड्डी, जाँघ, खाल, नस ।)

(ii) धातुओं के नाग - सोना, रूपा, ताँबा, पीतल, लोहा, सीसा ।

(अपवाद - चाँदी, धातु।)

(iii) रत्नों के नाम - हीरा, मोती, माणिक, मूँगा, पन्ना ।

(अपवाद - मणि, चुन्नी, लालड़ी ।)

(iv) ग्रहों के नाम पुल्लिंग हैं, यथा :- सूर्य, चन्द्र, राहु, केतु ।

(अपवाद - पृथ्वी, धरती, भूमि ।)

(v) देशों, नगरों, पर्वतों और समुद्रों के नाम पुल्लिंग हैं, यथा :- भारत, जापान, रूस, लंदन, कलकत्ता, हिमालय, विन्ध्याचल, हिन्द महासागर, लाल सागर, कृष्णसागर ।

(अपवाद - दिल्ली, कराची, काशी ।)

(vi) जल और स्थल के भागों के नाम पुल्लिंग हैं, यथा : देश, नगर, द्वीप, पहाड़, समुद्र, सरोवर, आकाश, पाताल।

(अपवाद - नदी, झील, घाटी - इत्यादि ।)

(vii) समय के विभागों के नाम पुल्लिंग हैं, यथा :

वर्ष, महीना, पक्ष, ससाह, दिन, चैत, बैसाख, जेठ, इतवार, सोमवार ।

(अपवाद - घड़ी, रात, साँझ, सुबह ।)

(viii) अनाजों के नाम पुल्लिंग हैं, यथा :-

गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, मटर, उड़द, चना, तिल - इत्यादि ।

(अपवाद - जुआर, मूँग, अरहर - इत्यादि ।)

(IX) द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग हैं, यथा :-

घी, तेल, पानी, दही, मट्ठा, शरबत, रस, सिरका ।

(अपवाद - छाछ, लस्सी, स्याही ।)

(x) पेड़ों के नाम पुल्लिंग हैं, यथा :-

पीपल, जामुन, बड़, शीशम, देवदार, तमाल, अशोक ।

(अपवाद - नीम, खिरनी ।)

(आ) अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित अप्राणिवाचक शब्द स्त्रीलिंग हैं :-

(i) नदियों के नाम - गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा - इत्यादि ।

(अपवाद - सोन, सिंधु, ब्रहापुत्र - इत्यादि ।)

(ii) तिथियों के नाम - परिवा, दूज, तीज, चौथ - इत्यादि ।

(iii) नक्षत्रों के नाम - अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी - इत्यादि ।

(iv) किराने के नाम - लौंग, इलायची, सुपारी, दालचीनी - इत्यादि ।

(v) भोजन - पदार्थों के नाम - पूरी, कचौरी, खीर, दाल, रोटी, तरकारी, खिचड़ी - इत्यादि ।

(vi) हिन्दी के वे शब्द जिनके अंत में आई, आवट, आहट, इया, ई - ये तद्धित प्रत्यय आते हैं, स्त्रीलिंग हैं - यथा :-

चतुराई, ढिठाई, भलाई, महँगाई, बिदाई, अमावट, घबराहट, गगरिया, डिबिया, पुड़िया, महँगाई, खेती, सवारी, चोरी - इत्यादि।

वास्तव में ये सब लिंग - निर्णय के सामान्य नियम हैं । अतः इनके अपवाद भी मिलते हैं , छात्रों को वाग्व्यवहार के अनुसार शब्दों का लिंग पहचानना चाहिए ।

4. 2. 3. 4 स्त्रीप्रत्यय

पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें स्त्रीप्रत्यय कहते हैं । ई, इया, इन, नी, आनी, आइन, आ, इका ये हिन्दी के स्त्रीप्रत्यय हैं ।

(i) प्राणिवाचक आकारान्त पुल्लिंग शब्दों के अन्त्य स्वर के स्थान पर "ई" स्त्रीप्रत्यय जोड़कर उनके स्त्रीलिंग रूप बनाये जाते हैं, यथा - लड़का - लड़की, बेटा - बेटी, पुतला - पुतली, चेला - चेली, घोड़ा - घोड़ी, बकरा - बकरी, काका - काकी, चाचा - चाची, दादा - दादी, नाना - नानी, मौसा - मौसी, साला - साली, चींटा - चींटी इत्यादि ।

(ii) निरादर या प्रेम में कहीं - वाहीं 'ई' के बदले 'इया' आता है, यथा : कुत्ता - कुतिया, बेटा - बिटिया, चूहा - चुहिया, बूढ़ा - बुढ़िया इत्यादि ।

(iii) पेशेवर लोगों के नाम के साथ "इन" प्रत्यय जोड़ा जाता है । यथा :- अहीर - अहीरिन, ग्वाला - ग्वालिन, तेली - तेलिन, सुनार - सुनारिन, लुहार - लुहारिन, धोबी - धोबिन - इत्यादि ।

(iv) "नी" प्रत्यय जानवरों के नाम के साथ जोड़ा जाता है । यथा :- ऊँट - ऊँटनी, मोर - मोरनी, रीछ - रीछनी, शेर - शेरनी, हाथी - हाथिनी - इत्यादि।

(v) "आनी" प्रत्यय कई (मनुष्य - संबंधी) शब्दों के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे:- खत्री - खत्रानी, जेठ - जेठानी, देवर - देवरानी, चौधरी - चौधरानी, नौकर - नौकरानी, मेहतर - मेहतरानी, राजपूत - राजपूतानी, सेठ - सेठानी, पंडित - पंडितानी ।

(vi) जाति - नामों और उपनामों के साथ 'आइन' प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे:- ओझा - ओझाइन, चौबे - चौबाइन, ठाकुर - ठकुराइन, तिवारी - तिवराइन, दुबे - दुबाइन, पाँडे - पाँडाइन, पाठक - पाठकाइन, पंडित - पंडिताइन ।

(vii) पुल्लिंग शब्दों में "आ" प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग - रूप बनाया जाता है, जैसे :- बाल - बाला, प्रिय - प्रिया, महोदय - महोदया, वृद्ध - वृद्धा, शिक्षित - शिक्षिता, सुशील - सुशीला - इत्यादि।

(viii) संस्कृत के 'अक' प्रत्ययान्त शब्दों के अंत में ('अक' के बदले) 'इका' जोड़ा जाता है, जैसे :- अध्यापक - अध्यापिका, गायक - गायिका, पाठक - पाठिका, बालक - बालिका, याचक - याचिका, लेखक - लेखिका, प्रचारक - प्रचारिका, नायक - नायिका।

अब तक कहा गया है कि हिन्दी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। परंतु पूर्वोक्त नियमों के विरुद्ध पदार्थवाचक अकारान्त या ईकारान्त संज्ञाओं में 'आ' प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग बनाया जाता है, जैसे :- भेड़ - भेड़ा, भैंस - भैंसा, गठरी - गठरा, डाल - डाला, गुदड़ी - गुदड़ा इत्यादि।

कोई कोई पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्दों में 'ओई' प्रत्यय लगाने से बनते हैं, जैसे :- बहन - बहनोई, ननद - ननदोई ।

हम उपर्युक्त 'आ' और 'ओई' - इन दो प्रत्ययों को 'पुंप्रत्यय' मान सकते हैं। क्योंकि इनका प्रयोग स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने में होता है । "बाला, प्रिया, महोदया - आदि तत्सम शब्दों में जो 'आ' प्रत्यय पाया जाता है, वह संस्कृत का स्त्रीप्रत्यय है जो हिन्दी के पुंप्रत्यय "आ" से भिन्न है ।

4.3 सारांश

इस इकाई में आपने संज्ञा और उसकी दो कोटियों (वचन और लिंग) के बारे में पढ़ा है । इस इकाई के प्रमुख अंग इस प्रकार हैं :-

★ रूपांतर की दृष्टि से संज्ञा विकारी शब्द है ।

★ संज्ञा से किसी वस्तु का नाम सूचित होता है ।

★ संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं, जिससे प्रकृत किंवा कल्पित सृष्टि की किसी वस्तु का नाम सूचित हो ।

★ अंग्रेजी के समान हिन्दी में भी संज्ञा पाँच प्रकार की मानी जाती है - व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक ।

★ संज्ञा और अन्य विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं ।

★ संज्ञा के जिस रूप से वस्तु / व्यक्ति की एकत्व - संख्या का बोध होता है, उसे एकवचन कहते हैं, जैसे :- लड़का, रोटी ।

★ संज्ञा के जिस रूप से वस्तुओं / व्यक्तियों के बहुत्व (Plurality) का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं, यथा : लड़के, रोटियाँ ।

★ संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की (पुरुष वा स्त्री) जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं । हिन्दी में नपुंसकलिंग का लोप हुआ है । अतः हिन्दी द्विलिंगी भाषा है ।

★ संज्ञा के जिस रूप से (यथार्थ या कल्पित) पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे : लड़का, बैल, पेड़, सागर ।

★ जिस संज्ञा से यथार्थ या कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे : लड़की, गाय, बात, पुस्तक ।

★ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते में जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं । वे हैं - ई, इया, इन, नी, आनी, आइन, आ, इका।

4. 4 बोध - प्रश्न

(i) संज्ञा की विभिन्न परिभाषाओं का अनुशीलन कीजिए ।

(ii) भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है ? समझाइए ।

(iii) लिंग की परिभाषा दीजिए ।

4. 5 बोध - प्रश्नों के उत्तर - संकेत

(i) देखिए उपपाठ 4. 2. 1

(ii) देखिए उपपाठ 4. 2. 1. 3

(iii) देखिए उपपाठ 4. 2. 3

4. 6 परीक्षार्थ प्रश्नों के नमूने

(i) संज्ञा की परिभाषा देते हुए उसके भेदों का सोदाहरण विवेचन कीजिए ।

(ii) हिन्दी में वचन - परिवर्तन - संबंधी नियमों को समझाइए ।

(iii) हिन्दी की लिंग - प्रक्रिया पर विचार कीजिए ।

4. 7 उत्तर - संकेत

(i) देखिए उपपाठ 4. 2. 1, 4. 2. 1. 1 से 4. 2. 1. 5 तक ।

(ii) देखिए उपपाठ 4. 2. 2. 3

(iii) देखिए उपपाठ 4. 2. 3, 4. 2. 3. 1 से 4. 2. 3. 3 तक ।

4. 8 अध्ययन - सामाग्री

(1) हिन्दी व्याकरण - पं कामता प्रसाद गुरु

(2) मानक हिन्दी व्याकरण और रचना - डॉ हरिवंश तरुण

(3) हिन्दी की लिंग - प्रक्रिया - डॉ. वी. डी. हेगडे

(4) हिन्दी शब्दानुशासन - पं किशोरीदास वाजपेयी ।

(5) राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण - पं किशोरिदास वाजपेयी

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕರಾಮುವಿ/ಅಸಾವಿ/4–060/2013–2014 ದಿನಾಂಕ : 24–09–2013
ಒಳಪುಟ : 60 GSM MPM ವೈಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಹೊರಪುಟ: 170 GSM ಆರ್ಟ್‌ಕಾರ್ಡ್
ಮುದ್ರಕರು : ಅಭಿಮಾನಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು–10 ಪ್ರತಿಗಳು : 1,200

Karnataka State Open University

Manasagangotri Mysore - 570 006

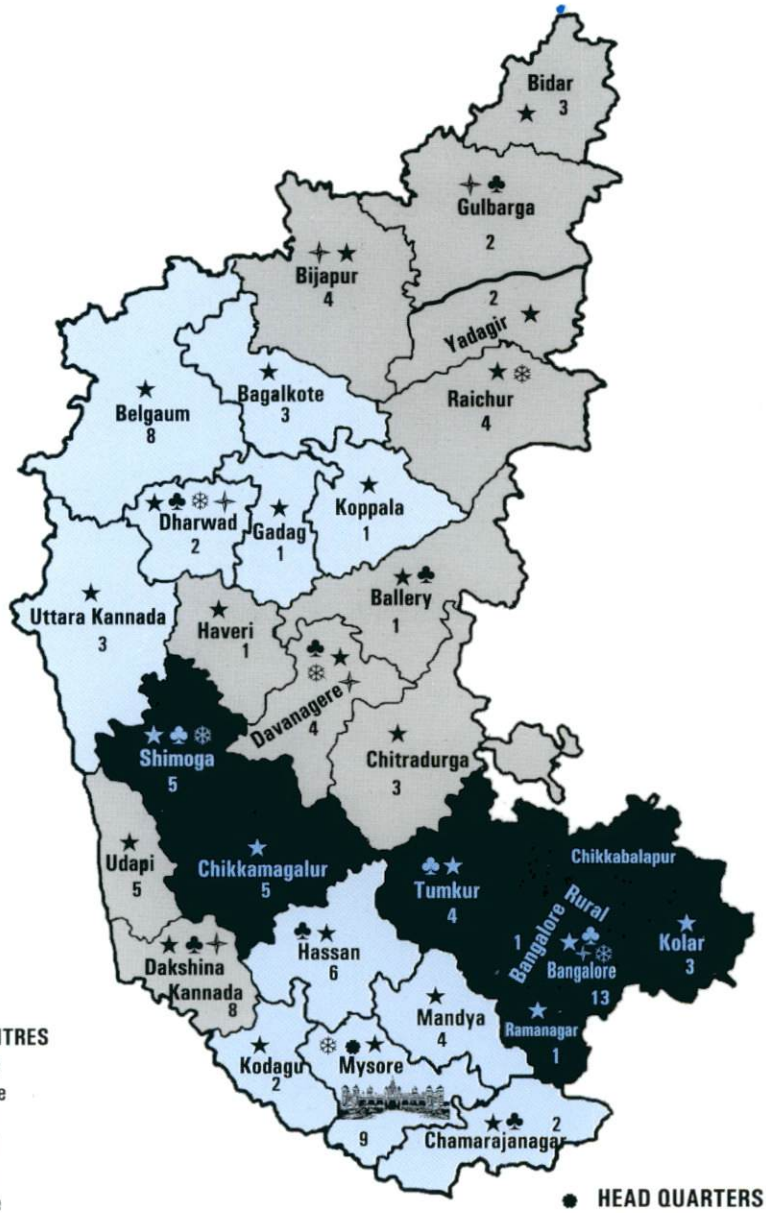

♣ REGIONAL CENTRES

Bangalore
Davanagere
Gulbarga
Dharwad
Shimoga
Mangalore
Tumkur
Hassan
Chamarajanagar
Bellary

- ● **HEAD QUARTERS**
- ★ **Total Study Centres : 111**
- ♣ **Regional Centres : 10**
- ❄ **B.Ed Study Centres : 10**
- ✦ **M.Ed Study Centres : 08**

Karnataka State Open University

Manasagangothri, Mysore - 570 006.

INSTRUCTIONAL SYSTEM